PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

जनवरी 2022 / Issue-1

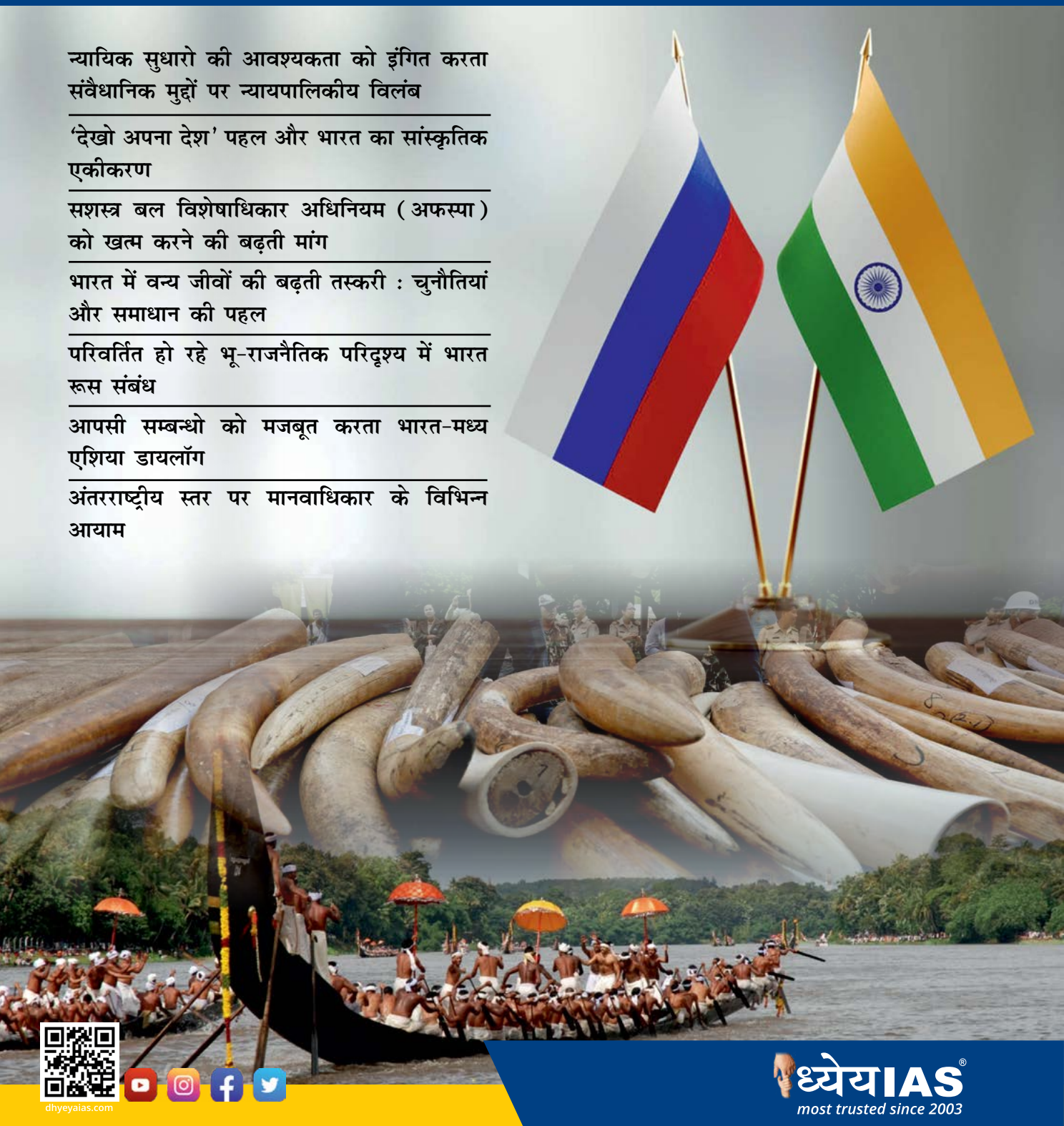

न्यायिक सुधारो की आवश्यकता को इंगित करता संवैधानिक मुद्दों पर न्यायपालिकीय विलंब

'देखो अपना देश' पहल और भारत का सांस्कृतिक एकीकरण

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को खत्म करने की बढ़ती मांग

भारत में वन्य जीवों की बढ़ती तस्करी : चुनौतियां और समाधान की पहल

परिवर्तित हो रहे भू-राजनैतिक परिदृश्य में भारत रूस संबंध

आपसी सम्बन्धो को मजबूत करता भारत-मध्य एशिया डायलॉग

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के विभिन्न आयाम

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

OFFLINE & ONLINE

COMPREHENSIVE ALL INDIA IAS PRELIMS TEST SERIES 2022

TOTAL TESTS - 27

STARTED ON
28th NOV
AND ONGOING

DHYEYA POWER

Period : Nov. 2021 to Feb. 2022

Autumn Phase
Total 13 Tests
(Sectional + Current Affairs)

- Focused development to ensure achievements.
- NCERT revision test.
- Theme based test.
- Segment wise test of GS.
- Test of Current Affairs and miscellaneous.

Period : March 2022 to May 2022

Knock out
Total 14 Tests
(3 Sectional + 6 GS Full Test + 4 CSAT+ 1 Full Current Affairs)

- Power packed Programme created for cracking UPSC/IAS Exam.
- Provide real feeling of UPSC/IAS Preliminary Exam.
- Full GS and CSAT tests.

Full Package (Autumn Phase +Knock Out)
Offline: Rs. 14,000/-
Online: Rs. 8,000/-

Autumn Phase
Offline: Rs. 8,000/-
Online: Rs. 5,000/-

Knock Out Phase
Offline: Rs. 8,000/-
Online: Rs. 5,000/-

DHYEYA ADVANTAGE

- 20% for non Dhyeya students who have cleared UPSC Prelims at least once.
- 20% for Dhyeya Students.
- 40% for Dhyeya Students who have cleared UPSC Prelims at least once.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR:** 7080847474, 9161947474 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DSC
DHYEYA SCHOOL OF COMPETITION

COMPREHENSIVE
UPPSC PRELIMS 2022
TEST SERIES PROGRAMME

STARTS FROM
16th JANUARY, 2022

Total Fee Structure

OFFLINE	ONLINE
Rs. 5,500/- (Including GST)	Rs. 3,500/- (Including GST)

Fee Structure for Winter Phase / Knock Out

OFFLINE	ONLINE
Rs. 3,500/- (Including GST)	Rs. 2,500/- (Including GST)

ONLINE / OFFLINE

SCHOLARSHIP AVAILABLE ON COMPLETE PACKAGE

Rank 1-3 Students 100% Discount.
Rank 4-6 Students 50% Discount.
Rank 7-10 Students 25% Discount.

WINTER PHASE
Total 9 Tests
(Sectional+Current Affairs+CSAT)

- Focused development to ensure achievements.
- NCERT revision test.
- Theme based test.
- Segment wise test of GS.
- Test of Current Affairs and miscellaneous.

KNOCK OUT
Total 11 Tests
(9 GS Full Test+1 CSAT+ 1 Full Current Affairs)

- Power packed Programme created for cracking UPPCS Exam.
- Provide real feeling of UPPSC Preliminary Exam.
- Full GS and CSAT test.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

प्रस्तावना

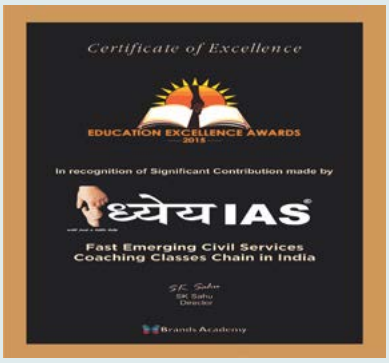

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय **IAS**

dhyeyaIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• क्यू. एच. खान
सहसंपादक	• गौतम तिवारी
उप-संपादक	• आशुतोष मिश्र
	• सौरभ चक्रवर्ती
संपादकीय सहयोग	• मनीष सिंह
	• गौरव
	• शिवांगी वर्मा
मुख्य लेखक	• विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	• ए.के श्रीवास्तव
	• विनीत अनुराग
	• बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	• प्रगति केसरवानी
	• पुनीष जैन
टंकण	• सचिन
	• तरून
कार्यालय सहायक	• राजू
	• चन्दन
	• अरुण

साभार : PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, डाउन टू अर्थ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीक्ली, योजना, कुरुक्षेत्र, द प्रिंट

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————— 1-16

- न्यायिक सुधारो की आवश्यकता को इंगित करता संवैधानिक मुद्दों पर न्यायपालिकीय विलंब
- 'देखो अपना देश' पहल और भारत का सांस्कृतिक एकीकरण
- सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को खत्म करने की बढ़ती मांग
- भारत में वन्य जीवों की बढ़ती तस्करी : चुनौतियां और समाधान की पहल
- परवर्तित हो रहे भू-राजनैतिक परिदृश्य में भारत रूस संबंध
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के विभिन्न आयाम
- आपसी सम्बन्धो को मजबूत करता भारत-मध्य एशिया डायलॉग

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------- 17-19

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय ---------- 20-21

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण ---------- 22-23

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक ---------- 24

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ---------- 25-26

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें ---------- 27-29

समसामयिक घटनाएं एक नजर में ---------- 30

ब्रेन बूस्टर ---------- 31-37

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा समसामयिक बहुविकल्पीय प्रश्न ---------- 38-42

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------- 43

व्यक्ति विशेष ---------- 44

राजव्यवस्था शब्दावली ---------- 45

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1 न्यायिक सुधारो की आवश्यकता को इंगित करता संवैधानिक मुद्दों पर न्यायपालिकीय विलंब

- संदर्भ
- परिचय
- न्यायपालिका में लंबित महत्वपूर्ण मुद्दे
- जम्मू कश्मीर का विवाद
- नागरिकता संशोधन अधिनियम
- न्यायपालिका में व्याप्त अन्य समस्याएं
- न्यायिक प्रणाली में सुधारो की आवश्यकता
- निष्कर्ष

संदर्भ

भारत की शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. पिछले कुछ समय से न्यायपालिका राज्य शक्ति तथा उत्त. रदायित्व से संबंधित कई मुद्दे लंबित हैं.

परिचय

संविधान निर्माण के समय संविधान सभा में यह प्रस्तावित किया गया था कि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी विषय न्यायपालिका में एक माह के अंदर निस्तारित किया जाना चाहिए. यद्यपि यह प्रावधान संविधान में सम्मिलित नहीं हो सका परंतु इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा मूल अधिकारों के महत्व को प्रदर्शित किया. परंतु वर्तमान समय में कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे न्यायपालिका में लंबित है जो राज्य की शक्ति उत्तरदायित्व से संबंधित हैं, कहीं ना कहीं यह स्थिति मूल अधिकारों के महत्व को कमजोर कर रही है.

न्यायपालिका में लंबित महत्वपूर्ण मुद्दे

जम्मू कश्मीर का विवाद

ध्यातव्य हो कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 को निलंबित कर दिया गया. यह अनुच्छेद भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करता था. इसी के साथ संसद में अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया. जिस समय यह आदेश दिया गया उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन चल रहा था. सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में वाद दाखिल हुआ. जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए जो निम्न वत है

- क्या केंद्र अनुच्छेद 356 के प्रचलन में लाभ उठाकर राज्य का विभाजन अथवा स्थिति परिवर्तन कर सकता है?
- दूसरा प्रश्न यह था कि यद्यपि अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान है कि संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है परंतु क्या यह अनुच्छेद यह भी संदर्भित करता है कि संघीय सरकार राज्य के अस्तित्व को कम कर केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है?

5 अगस्त 2019 के उपरांत न्यायपालिका में लंबित यह प्रश्न अभी तक निस्तारित नहीं हुए हैं. यह कहीं न कहीं न्यायपालिका की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह उठाता है.

इलेक्टोरल बांड का मामला

- इलेक्टोरल बांड के मामले का लंबन लग. भग 4 वर्षो से चल रहा है . भारत में चुन. ाव लोक संप्रभुता के हस्तांतरण से संबंधित प्रक्रिया है. इलेक्टोरल बांड में चुनाव की प्रक्रिया में वित्तीय हेतु प्रावधान किए गए थे.
- इलेक्टोरल बांड की समस्या यह है कि इसमें राष्ट्रीय पार्टियों तथा राज्य की पार्टियों को चंदा देने का प्रावधान है जिससे कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार के साथ असमानता होती है.
- वही पार्टियों को वित्तीय करने वाले का. रपोरेट सरकार में आने के उपरांत राजनीतिक दलों से अपने लाभ हेतु नीतियां बनवाते हैं . कहीं ना कहीं यह लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया को दूषित करता है.
- लगभग 4 वर्ष के उपरांत भी इस मामले का निस्तारण नहीं किया जा सका है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम

- संसद द्वारा 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया गया जिस अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों(अर्थात इन देशों में अल्पसंख्यकों) को, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, नागरिकता प्रदान करने की बात की गई.
- इन तीनों देशों में हिंदू सिख,पारसी,जैन, बौद्ध ,ईसाई अल्पसंख्यक है. भारत में बहुत ही अधिक विवाद हुआ तथा अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के संदर्भ में मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया. इस मामले पर भी विशेष निर्णय नहीं आया है.

किसानों का मामला

2020 में सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों के रूप में अध्यादेश लाए गए जिनके विरोध में कृषक संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका तथा सड़क पर आंदोलन आरंभ किया. 1 वर्ष से भी अधिक समय होने के उपरांत न्यायपालिका द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिया गया. परंतु अब सरकार द्वारा इन तीनों को वापस ले लिया गया है.

अन्य मामले

- 2013 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा

सीबीआई के संदर्भ में दिया गया निर्णय की सीबीआई कोई भी सांविधिक निकाय नहीं है तथा सीबीआई की राज्यों में शक्तियों को कम करना होगा यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया परंतु अभी तक इस पर कोई यथोचित निर्णय नहीं आया है

- अनलाफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की धारा 43D(5) के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में याचिका है.यह धारा इस अधि नियम के अंतर्गत विरुद्ध व्यक्तियों के जमानत को तत्काल प्रभाव से रोकता है.
- इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है यथा भीमा कोरेगांव केस में वादियों पर यह मामला दर्ज किया गया है. यह स्थिति अनुच्छेद 21 में वर्णित स्वतंत्रता को प्रति. बंधित करती है. यह मामला भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है.

यद्यपि इन मामलो में न्यायपालिका निष्क्रिय नहीं है , परन्तु मानवीय स्वतंत्रता, राज्य-शक्ति तथा संघवाद से हुदे मुद्दे शीघ्र निस्तारण की मांग करते हैं क्योंकि ये सभी संविधान के आधारभूत तत्वों में से हैं.

इन परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याएं

- यह स्थिति न्यायपालिका पर भारी बोझ तथा न्यायपालिका की कार्य क्षमता में कमी को प्रदर्शित कर रहा है. कहीं ना कहीं चुन. ाव, संघवाद, नागरिकता जैसे मुद्दों पर बेहतर निर्णय तथा शीघ्र निर्णय ना दे पाने से आम जनमानस के मूल अधिकार प्रभावित हुए हैं. इन मुद्दों पर यथास्थिति से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के साथ अन्याय होता है.
- अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहेब भीम. राव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा

था . इस प्रकार संवैधानिक मूल्यों पर उत्पन्न प्रश्नों की व्याख्या में विलंब संविधान के आधारभूत तत्वों को प्रभावित कर रहा है.

- अधिकारों का उल्लंघन तथा उन विवादों पर न्याय में देरी से लोकतांत्रिक मूल्य प्रभा. वित हो रहे हैं. सरकार के शक्ति संतुलन के मामलों पर निर्णय में देरी से सरकारें लोकतंत्र से अधिनायक तंत्र की ओर बढ़ने लगती है.

न्यायपालिका में व्याप्त अन्य समस्याएं

- लंबित मामलो की बढ़ती संख्या - नेशनल जुडिसियल डाटा ग्रिड के अनुसार जुलाई 2021 में भारत में कुल लंबित मामले 449 लाख थे जो कि जनवरी 2021 की तुलना में 23 लाख अधिक थे.
- निस्तारण की कम दर - भारत में 40 % से अधिक मामले ऐसे हैं जिनके निस्तारण में 3 वर्ष से अधिक का समय लगता है. विकसित देशो में ऐसे मामले मात्र 1 % हैं.
- **नियुक्तियों में पारदर्शिता का आभाव:-** उच्चतर न्यायालयों की न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का आभाव तथा निम्न अदालतों में रिक्त पदों की आपूर्ति न होने से समस्या और विकट हो चली है.
- **न्यायिक प्रक्रिया की दुरूहता**- भारत में उच्चतर न्यायालयों, निचली अदालतों,लोक अदालतों तथा विभिन्न अधिकरणों की उप. स्थित के साथ विधिक भाषा की कठिनाइयां न्यायिक प्रणाली की दुरूहता को बढाती हैं.
- **कार्य दबाव:-** छोटे कार्यकाल और कार्य के भारी दबावों के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कानून को उत्कृष्ट बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता.
- **उ पनिवेशी तत्व:-** न्याय व्यवस्था में अभी भी उपनिवेशी तत्व विराजमान हैं. भ. षा, प्रक्रिया तथा तत्वार्थ से यह पूर्णरूपेण भारतीय नहीं हो पाई है.

न्यायपालिका द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:-

- भारत की न्यायपालिका द्वारा निरंतर समाज को तथा राज्य के कानूनों को प्रगतिवादी बनाने का प्रयास किया गया है. कई बार न्यायपालिका ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत तथा राज्य की शक्ति पर नियंत्रण किया है वहीं समाज को प्रगतिशील बनाने का कार्य किया है
- न्यायपालिका द्वारा सबरीमाला वाद में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देकर पितृसत्तात्मक जनों को कमजोर किया गया.
- न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 377 (एलजी बीटीक्यू समुदाय से संबंधित)तथा अनुच्छेद 497(एडल्ट्री से संबंधित) को विअपराधी. कृत कर मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया.
- न्यायपालिका द्वारा ही तीन तलाक के मुद्दे पर निर्णय देकर महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण किया गया तथा स्त्री पुरुष समानता को कम करने का प्रयास किया गया.
- न्यायपालिका द्वारा ही दिए गए निर्णय द्वारा बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधि कार प्राप्त हुआ.
- समस्त निर्णयों द्वारा माननीय न्यायालय ने समाज को प्रगतिशील बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है.
- एसआर बोम्मई मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग हेतु एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जिसके उपरांत अनुच्छेद 356 के प्रयोग एक सीमा तक कम किया गया.
- न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती मामले में दिए गए बुनियादी संरचना सिद्धांत में आवश्यक तत्वों का वर्णन किया गया है जो संविधान हेतु आधारभूत तथा आवश्यक है. इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि काम के बोझ तथा मानवीय संसाधन की कमी के कारण न्यायपालिका की कार्यक्षमता प्रभावित हुई है परंतु भारतीय समाज की प्रगतिशीलता तथा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है.

न्यायिक प्रणाली में सुधारो की आवश्यकता

न्यायपालिका भारतीय लोक्तंत्रिक प्रक्रिया तथा संवैधानिक सर्वोच्चता हेतु अत्यंत आवश्यक है तथा वास्तव में "लोगों के शासन" को सुनश्चित करने के लिए न्या. यिक प्रणाली में कुछ सुधारो की आवश्यकता है-जो निम्नवत वर्णित है

- स्वीकृत न्यायिक पदों को भरकर लंबित मामलों को कम करें तथा दूस. रा उपाय तकनीक के प्रयोग से न्या. यिक कार्य में सुधार लाना अनिवार्य है.
- विश्लेषण से पता चलता है कि 2006 और 2019 के बीच, लंबित मामलों में औसत वृद्धि प्रति वर्ष 2% से कम थी जबकि स्वीकृत न्यायिक पदों में औसत रिक्ति लग. भग 21% थी. यदि स्वीकृत पदों को भरा गया होता, तो प्रत्येक वर्ष लंबित मामलों की संख्या कम हो जाती.
- लगभग शून्य रिक्तियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होनी चाहिए और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.
- उच्चतम न्यायालय की ई-समिति की अनुशंसा को ध्यान में रखकर ई-फाइलिंग तथा वर्चुअल हियरिंग के अनुप्रयोग को बढ़ाना आवश्यक है.
- इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय न्या. यिक सेवा का निर्माण हो जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करके यह जजों की योग्यता व गुणवत्ता में सुधार किया जाए. हाल ही में सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में एक विधयेक लाने पर विचार किया जा रहा है.
- अधिकरणों की संख्या में कमी करके उन्हें क्षमतावान बनाया जाए. सरकार इस दिशा में प्रयास कर भी रही है.
- न्याय प्रणाली के भारतीयकरण किये जाने की आवश्यकता है. अपने नागरिकों को वास्तविक अर्थों में न्याय दिलाने के लिए इस समूची न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण किया जाना बहुत जरूरी है. ऐसा करने से न्याय व्यवस्था न सिर्फ सस्ती होगी, बल्कि मुकदमे भी जल्दी निस्तारित होंगे और लोगों की न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था भी मजबूत होगी.

निष्कर्ष

भारत में लोकतंत्र की स्थापना ,संवैधानिक सर्वोच्चता, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का अनुकरण तथा मूल अधिकार तथा राज्य की सत्ता में संतुलन के निर्वहन जैसा कठिन कार्य न्यायपालिका को प्राप्त है .इन सिद्धांतो में संतुलन स्थापित करते समय कई बार न्याय में विलंब हो जाता है . सुधारों को लागू कर न्यायपालिका की क्षमता को सुधारना होगा क्योंकि न्याय में विलंब अन्याय का कारक हो सकता है जो न्याय की अवधारणा का विरोधाभासी होगा .

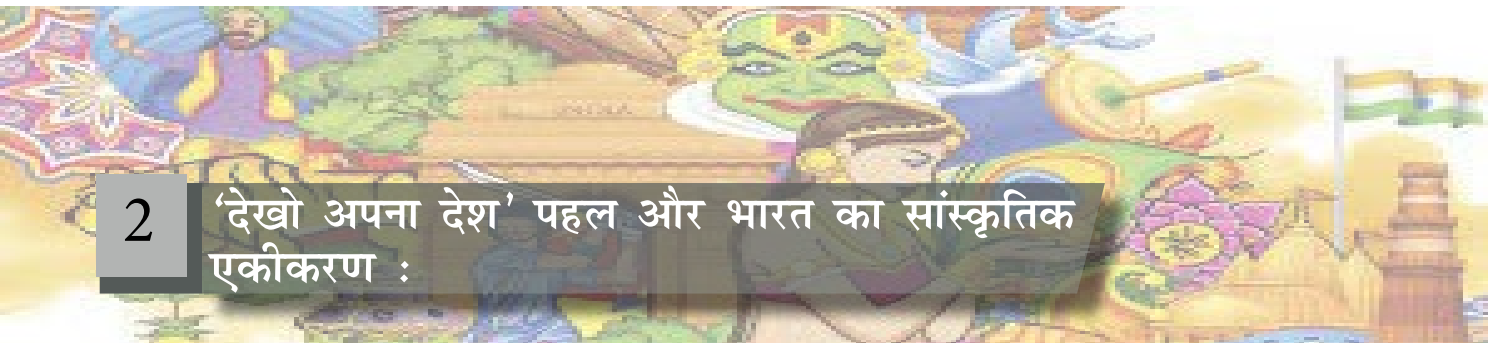

2 'देखो अपना देश' पहल और भारत का सांस्कृतिक एकीकरण :

- **चर्चा में क्यों**
- **पृष्ठभूमि**
- **महाराष्ट्र के प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल**
- **बौद्ध धर्म का महत्व और पर्यटन मंत्रालय की 'देखो अपना देश' पहलं**
- **आईडीडीएस योजना और सोमनाथ मंदिर**
- **प्रसाद योजना**

चर्चा में क्यों ?

पर्यटन मंत्रालय ने अपनी 'देखो अपना देश' पहल के अंतर्गत पर्यटन पर केंद्रित विविध विषयों, थीम्स आदि पर वेबिनारों का आयोजन कर रहा है. इसी कड़ी में "75 डेस्टिनेशन्स विद टूर गाइड्स" के अंतर्गत 11 दिसम्बर, 2021 को 'महाराष्ट्र के ज्यो. तिर्लिंगम मंदिर' पर वेबिनार का आयोजन किया गया है. देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉ. निक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत की गई है.

पृष्ठभूमि

भारत एक बहुआयामी, बहुधार्मिक, बहुभाषा. ई, बहुसांस्कृतिक, बहुनृजातीय देश है. भारत के विविधता की तारीफ विश्व स्तर पर होती है, चाहे वह खेल हो, पर्यटन हो, संस्कृति हो, भाषा हो या कोई अन्य क्षेत्र. भारत के पास हर क्षेत्र में महान धरोहर मौजूद रहे हैं जिसके चलते भारत की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक राजनीतिक पहचान बनी रही है लेकिन भारत में राष्ट्र निर्माण सामाजिक सुधारों, आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि चाहे भारत के नागरिक हों, निवेशक हों, व्यवसायी हों हर कोई भारत के बारे में जाने ताकि उसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में पता चल सके. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक भारत की विविधता देश की पंथनिरपेक्ष और साथ ही राष्ट्रवादी छवि को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है.

महाराष्ट्र के प्रमुख सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थल:-

महाराष्ट्र में लोकप्रिय और पूजनीय धार्मिक

एवं आध्यात्मिक स्थल बड़ी तादाद में हैं, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं. महाराष्ट्र के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में त्रियंबकेश्वर (त्रियंबकेश्वर), भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, औंढा नागनाथ और परली वैजनाथ शामिल हैं. इन मंदिरों में भगवान शिव ज्योतिर्लिंगम के रूप में प्रतिष्ठापित हैं और जो भारत की धार्मिक मान्यताओं में पुरातन काल से श्रद्धेय रहे हैं. 12 ज्योतिर्लिंगों में से, सुदूर दक्षिण का ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जबकि सुदूर उत्तर का ज्योतिर्लिंग हिमालय में उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित है. ये मंदिर पुराणों की किंवदंतियों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं तथा इतिहास और परंपरा की दृष्टि से समृद्ध हैं.

त्रियंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगम उन चार स्थानों में से भी एक है जहां सिंहस्थ कुंभ मेला लगाया जाता है. यह मंदिर नासिक से 28 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. त्रियंबकेश्वर मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से नागर शैली में निर्मित मंदिर है और काले पत्थरों से बना है. वहीं महाराष्ट्र में ही स्थित भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकृष्ट करता है. पुणे जिले में स्थित यह मंदिर भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और यह भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है.

महाराष्ट्र के ही आध्यात्मिक धार्मिक वैभव का प्रतीक घृष्णेश्वर अथवा घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंगम औरंगाबाद में स्थित है जिसका निर्माण अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था. 11वीं-12वीं ईसवी के इस मंदिर के नाम का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे पौराणिक साहित्य में भी मिलता है. लाल पत्थरों से निर्मित यह नागर शैली के मंदिर का सुंदर उदाहरण है. यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल-एलोरा की गुफाएं इस मंदिर के बहुत निकट स्थित हैं. इसलिए यह क्षेत्र आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी संभावनाओं भरा माना जाता है.

इसके साथ ही 13वीं सदी के महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित औंढा नागनाथ को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है. वास्तुकला की दृष्टि से औंढा नागनाथ मंदिर हेमाड़पंथी शैली में निर्मित है और इसमें उत्कृष्ट नक्काशी की गई है. इसे पांडवों द्वारा स्थापित प्रथम या 'आद्या' लिंग माना जाता है.

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश श्रृंखला में महाराष्ट्र के जिन ज्योतिर्लिंग मंदिरों के महत्व को उजागर करने की कोशिश की गई है उसमें परली वै. जनाथ के ज्योतिर्लिंगम मंदिर भी शामिल है. जिसको वैद्यनाथ भी कहा जाता है और इसका जीर्णोद्धार रानी अहिल्याबाई होल्कर ने करवाया था. इस मंदिर का निर्माण एक पहाड़ी पर पत्थरों से किया गया है.

वस्तुत: भारत में ज्योतिर्लिंग मंदिरों का ऐतिहासिक धार्मिक महत्व समय बीतने के साथ ही और भी बढ़ता गया है और ये धार्मिक पर्यटन के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभरे. विभिन्न क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के लोग ऐसे केंद्रों पर जब मिलते हैं और उनके बीच में अंतरसंपर्क स्थापित होता है तो उससे भारत को समझने की प्रक्रिया और तेज होती है.

बौद्ध धर्म का महत्व और पर्यटन मंत्रालय की 'देखो अपना देश' पहल :

भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' वेबिनार श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में 16 जनवरी, 2021 को "ट्रेन द्वारा बौद्ध सर्किट की यात्रा" शीर्षक से एक रोचक वेबिनार का भी आयोजन किया था. इस वेबिनार के माध्यम से भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को बढ़ावा देने और इसका प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, इतना ही नहीं भगवान बुद्ध द्वारा देश भर में व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किए गए स्थलों के अलावा उनके शिष्यों द्वारा बनाये गये बौद्ध मठों को दर्शाया गया है, जिसमें आधुनिक मठ भी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, वेबिनार में भारत के बौद्ध स्थलों की यात्रा (विशेष रूप से ट्रेन द्वारा) और ठहरने की व्यवस्था के लिए दर्शकों को प्राथमिक जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया. चूंकि भारत के बौद्ध पर्यटन में दुनिया भर के 50 करोड़ बौद्धों को "भारत-बुद्ध की भूमि" की तरफ आकर्षित करने की जबरदस्त क्षमता है और भारत में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थलों के साथ एक समृद्ध प्राचीन बौद्ध धरोहर है और दुनिया भर से आने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों के मन में भारतीय बौद्ध विरासत के प्रति बहुत गहरी रुचि है. इसलिए भी पर्यटन मंत्रालय की यह पहल काफी सार्थक मानी जा रही है.

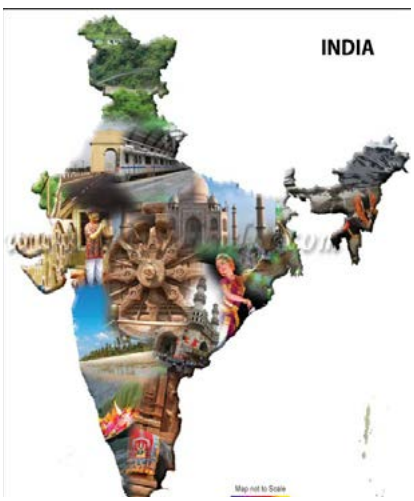

बौद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन यात्रा कार्यक्रम को तैयार करने में, बुद्ध के मूल उपदेश स्थल को शामिल करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, जहां से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, वह स्थान जहां से इसके सभी विविध रूपों, संप्रदायों और श्रेष्ठता को फैलाया गया. यह संवर्धित स्थल जिसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है. आईआरसीटीसी बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की कल्पना बौद्ध धर्म के सबसे सम्मानित स्थलों की यात्रा करने के लिए की गई थी, जिनमें से वह स्थान भी शामिल है, जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. यह पर्यटक ट्रेन उन सभी स्थानों को कवर करती है, जिनका भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा.

भारत के पर्यटन मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल देश में आने वाले करीब 6 प्रतिशत विदेशी पर्यटक बौद्ध स्थलों पर जाते हैं और उनमें सारनाथ एवं बोधगया अग्रणी हैं. बौद्ध लगभग 50 करोड़ अनुयायियों के साथ दुनिया की कुल आबादी के 7 प्रतिशत लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से संबंधित सर्वाधिक 6 स्थान हैं और इन सभी स्थलों पर तेजी से विकास कार्य चल रहा है. कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई

अड्डे का उद्घाटन भी किया जा चुका है. स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों में बौद्ध सर्किट विक. ास के लिए 325.53 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है.

आईडीडीएस योजना और सोमनाथ मंदिर

पर्यटन मंत्रालय द्वारा अपनी इंटीग्रेटड डेस्टि. टनेशन डेवलपमेंट स्कीम (आईडीडीएस) के तहत प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में सोमनाथ के विकास को प्रस्तावित किया गया है, जिसमें प्रभास पाटन संग्रहालय, पर्यटक सुविधाएं, हाट आदि जैसे घटकों का विकास शामिल है. इस पूरे क्षेत्र का व्यापक और समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए इस विचाराधीन परियोजना के तहत सोमनाथ को बेहतर संपर्क– सुविधा (कनेक्टिविटी) प्रदान करने के लिए हवाई अड्डा, राष्ट्रीय राजमार्ग-51 का उन्नयन, सी-प्लेन सेवाओं का विकास आदि जैसे कुछ क्षेत्रीय उपाय भी प्रस्तावित हैं.

प्रसाद योजना

प्रसाद योजना के तहत गुजरात राज्य के लिए शुरू की जाने वाली नई परियोजनाएं हैं : मां अंबाजी मंदिर, बनासकांठा में तीर्थयात्री सुविधाओं का विकास और सोमनाथ में सार्वजनिक प्लाजा/एंट्री प्लाजा का विकास. पिछले सात साल से, कई तीर्थस्थल 'प्रसाद' योजना से लाभान्वित हुए हैं और सभी धर्मों को मानने वाले अपने-अपने तीर्थस्थलों पर पूजा करने में सक्षम हुए हैं. 2014 में घोषित प्रसाद योजना के तहत 40 प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 15 पहले ही पूरे हो चुके हैं. गुजरात में 100 करोड़ रुपये से अधिक की तीन परियोजनाओं पर काम चल रहा है. तीर्थ स्थलों को जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है.

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थस्थलों और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय तीर्थयात्रा काया. कल्प और अध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभि. यान' (प्रसाद) शुरू किया था. इस योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उसे कार्यान्वित करने के क्रम में समान पहुंच की अवधारणा सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. इस योजना का उद्देश्य तीर्थस्थल/धार्मिक और विरासत पर्यटन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का निर्माण है. वर्तमान में 24 राज्यों में 1,214.19 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 37 परियोजनाओं (15 पूरी हो चुकी परियोजनाओं सहित) को स्वीकृति दी जा चुकी है और योजना के तहत इन परियोजनाओं के लिए कुल 675.89 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है.

3 सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्सपा) को खत्म करने की बढ़ती मांग

- चर्चा में क्यों
- पृष्ठभूमि
- अफ्सपा के दुरूपयोग के कुछ मामले
- क्यों लाया गया अफ्सपा कानून
- कैसे और कंहा लगया जाता है अफ्सपा
- अफ्सपा के प्रावधान
- अफ्सपा को हटाने की पूर्व मांगें
- निष्कर्ष

चर्चा में क्यों ?

हाल के समय में पूर्वोत्तर भारत में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को खत्म करने की मांग फिर से तेज हो गई है. पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में अर्ध सैनिक बलों खासकर असम राइफल्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रही है जबकि उसका काम उग्रवादियों विप्लवक. ारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना है. हाल ही में नागालैंड के मोन जिले में असम राइफल्स द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही में, गोलीबारी के दौरान एक जवान समेत 14 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई. इसके बाद असम राइफल्स का कहना था कि विद्रोहियों, उग्रवादियों के संभावित मूवमेंट की विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर ही नागालैंड के मोन क्षेत्र में विशिष्ट सैन्य अभियान चलाने की योजना बनाई गई थी. लेकिन नागालैंड राज्य सरकार ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए अफ्सपा को हटाने की मांग के साथ एक नई बहस छेड़ दी है जिसके बाद मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी केंद्र सरकार से अफ्सपा को खत्म करने की मांग की है.

पृष्ठभूमि :

दरअसल पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को खत्म करने की मांग उठती रही है. जिन आधारों पर इसे हटाने की मांग को पूर्वोत्तर

में एक आंदोलन का रूप मिलता रहा है, उनमें शामिल हैं :

1. अर्द्ध सैनिक बलों को आंतरिक उपद्रव. ग्रस्त क्षेत्रों में विद्रोहियों या उग्रवादियों को घटना स्थल पर ही गोली मारने के अधि कार जिसके चलते अर्ध सैनिक बलों को कई अवसरों पर एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग या फेक एनकाउंटर्स का दोषी ठहराया गया है. अर्ध सैनिक बलों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि इनके द्वारा अपने अधिकार, शक्तियों का दुरुपयोग कर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया है.

2. अफ्सपा के तहत तैनात अर्ध सैनिक बलों के जवानों के ऊपर बार बार एक गंभीर आरोप यह लगाया जाता रहा है कि इनके द्व ारा उत्तर पूर्वी राज्यों की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है. कई बार अर्ध सै. निक बलों के जवानों पर पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के बलात्कार का आरोप लगता रहा है और सिद्ध भी हुआ है.

अफ्सपा के दुरूपयोग के कुछ मामले :-

अक्सर सुरक्षा बलों पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे लेकिन जुलाई 2004 में कथित रूप से अर्धसैनिक बलों द्वारा 32 साल की एक महिला मनोरमा के साथ गैंग. रेप और फिर हत्या किए जाने के मामले ने राज्य को आंदोलित तक कर दिया. चरमप. थियों से लड़ने के लिए मणिपुर में तैनात असम राइफल्स के जवानों ने 11 जुलाई की आधी रात को मनोरमा को उसके घर से उठा लिया था और इसके कुछ घंटे बाद सड़क के किनारे उसका कटा फटा और गोलियों के निशान वाला शव मिला था. इस घटना ने अर्ध सैनिक बलों की संवेदनहीनता और अमानवीयता को उजागर किया था और इसके बाद अफ्सपा जो केंद्र सरकार को पैरा मिलिट्री फोर्सेज की पूर्वोत्तर के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में तैनाती का अधिकार देता है, उससे जुड़े कानून को ही खत्म करने की मांग एक बड़ा आंदोलन बन गई.

इसी संदर्भ में एक अन्य घटना का उल्लेख करना यहां ठीक रहेगा. 1 नवंबर, 2000 को एक बस स्टैंड के पास दस लोगों को अफ. सपा के तहत कार्य करने वाले सैन्य बलों ने

गोलियों से भूनकर मार डाला था. इस कांड की इरोम शर्मिला चानू नामक महिला प्रत्यक्षदर्शी थीं. इस घटना का विरोध करते हुए 29 वर्षीय इरोम चानू ने 2 नवंबर से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था. उनकी मांग थी कि मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष. धिकार कानून को हटाया जाए. हालांकि अनशन के चार दिन बाद ही 6 नवंबर को उन्हें "आत्महत्या करने के प्रयास" के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और धारा 309 लगा दिया गया. 20 नवंबर, 2000 को उन्हें जबरन नाक में पाइप डाल कर तरल पदार्थ दिया गया था और उन्हें अफ्सपा का विरोध करने से रोका गया. इसके बाद ही इरोम चानू को बार-बार पकड़ा और रिहा किया जाता रहा है. मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला ने मणिपुर से अफ्सपा हटाने की मांग के साथ 16 साल तक अनव. रत अनशन किया.

क्यों लाया गया अफ्सपा कानून :-

भारत की आजादी के समय और उसके बाद भी जिस तरह से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भारतीय संघ से अलग होने के लिए हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलाये जा रहे थे, उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून, 1958 पा. रित किया गया था. दूसरे शब्दों में इस कानून की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्यवाही में मदद के संदर्भ में देखी जा सकती है और इसलिए 11 सितंबर 1958 को इस एक्ट को संसद में यह जानते हुए भी पारित किया गया कि कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है.

कैसे और कंहा लगया जाता है अफ्सपा :-

अफ्सपा की विशेष बात यह है कि यह कुछ इकाइयों को पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों या पूरे क्षेत्र में अर्ध सैनिक बलों की तैनाती का अधिकार देता है. यहां पहला सवाल उठता है कि किन क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है? इसका जवाब है ऐसे क्षेत्र जो आंतरिक रूप से उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिए जाते हैं. 1972 से पहले राज्य सरकारों के पास यह अधिकार था कि वो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करें, लेकिन 1972 में अफ्सपा में संशोधन कर केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया गया.

1958 के मूल अधिनियम में कहा गया है कि आंतरिक उपद्रव की स्थिति में एक राज्य का राज्यपाल, एक संघ शासित प्रदेश का प्रशासक या केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के किसी क्षेत्र में अफ्सपा लगा सकती है. इंद्रजीत बरुआ बनाम असम राज्य के मामले में 1983 में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि राज्यपाल पूर्वोत्तर के किसी राज्य के किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए सशक्त किया गया है.

किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र में यह कानून तभी लागू किया जाता है, जब राज्य या केंद्र सरकार उस क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' अर्थात डिस्टर्बड एरिया घोषित कर देती है. अफ्सपा केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि अशांत क्षेत्र घोषित किए गए हों. इस कानून के लागू होने के बाद ही वहां सेना या सशस्त्र बल भेजे जाते हैं. कानून के लगते ही सेना या सशस्त्र बल को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का अधि कार आ जाता है. केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है. विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समु दायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है.

अफ्सपा अधिनियम की धारा 3 राज्य तथा केंद्रशासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र (गजट) पर एक आधिकारिक अधि सूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है,

केंद्र को अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है. अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार अशांत घोषित होने पर क्षेत्र में न्यूनतम तीन माह के लिये यथास्थिति बनाए रखनी होगी.

राज्य सरकारें यह सुझाव दे सकती हैं कि इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिये अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा-3 के तहत उनके सुझाव को संज्ञान में लेने अथवा न लेने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास है.

अधिनियम की धारा (3) के तहत, राज्य सरकार की राय का होना जरूरी है कि क्या क्षेत्र "डिस्टर्ब" है या नहीं. अगर ऐसा नही है तो राज्यपाल या केंद्र द्वारा इसे खारिज किया जा सकता है. अफस्पा अधिनियम की धारा (3) के तहत राज्य या संघीय राज्य के राज्यपाल को गजट की आधिकारिक सूचना जारी करने के लिए अधिकार देता है, जिसके बाद उसे केंद्र के नागरिकों की सहायता करने के लिए सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. (विशेष न्यायालय) अधि नियम 1976 के अनुसार, एक बार "डिस्टर्ब" क्षेत्र घोषित होने के बाद कम से कम 3 महीने तक वहाँ पर स्पेशल फोर्स की तैनाती रहती है.

अफ्सपा के प्रावधान :

1. इस कानून की धारा-4 के अनुसार, सु. रक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है.

2. इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है. यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी.

3. सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं. गि. रफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. सैन्य अधिकारी परिवार के किसी व्यक्ति, संपत्ति, हथियार या गोला-बारूद को बरामद करने के लिये बिना वारंट के घर के अंदर ज कर तलाशी ले सकता है और इसके लिये बल प्रयोग कर सकता है.

5. किसी वाहन को रोककर गैर-कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है.

6. यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया.

अफ्सपा को हटाने की पूर्व मांगें :

वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में अफ्सपा को खत्म करने की सिफारिश की थी. हालांकि, पांच सद. स्यीय इस समिति ने 6 जून 2005 को 147 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें अफ्सपा को 'दमन का प्रतीक' बताया गया था. हालांकि, सेना और रक्षा मंत्रालय के विरोध के चलते केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया. दरअसल, वर्ष 2004 में मणिपुर में असम राइफल्स की हिरासत में एक महिला थंगजाम मनोरमा की मौत के विरोध में हुए आंदोलन और इरोम शर्मिला द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते 2004 में जस्टिस रेड्डी कमेटी का गठन हुआ था.

फिर संयुक्त राष्ट्र में विशेष प्रतिवेदक क्रिस्टो. फर हेंस ने 31 मार्च, 2012 को भारत से अफ्सपा हटाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अफ्सपा जैसा कठोर कानून नहीं होना चाहिए. ह्यूमन राइट्स वॉच भी इस कानून को लेकर समय-समय पर आपत्तियां जताता रहता है.

निष्कर्ष :

भले ही कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है जिसमें केंद्र सरकार को आम तौर पर हस्तक्षेप नही करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों की सुरक्षा का दायित्व देता है और चूंकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सीमा म्य. ांमार, बांग्लादेश, चीन, नेपाल जैसे देशों की सीमा से लगती हैं और इन सीमा क्षेत्रों में जिस तरह की बहुआयामी सुरक्षा चिंताएं हैं उसे देखकर लगता है कि एकपक्षीय दृष्टि कोण से अफ्सपा को नही हटाया जाना चाहिए. लेकिन यह जरूर है कि अफ्सपा के प्रावधानों को मानवीय, तार्किक, जेंडर सें. सिटिव, मानवाधिकारों के प्रति सम्मान वाला बनाया जाना अत्यंत जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने अर्ध सैनिक बलों के फेक एनकाउंटर की जांच कराई थी. जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए, जांच पैनल ने 2009-10 में मणिपुर में सुरक्षा बलों को अफस्पा के दुरुपयोग का दोषी ठहराया था. शीर्ष अदालत के सेवा. निवृत्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े, पूर्व मुख्य चुन. ाव आयुक्त, जेएम लिंगदोह और कर्नाटक के पूर्व पुलिस प्रमुख अजय कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कम से कम छह मुठभेड़ फर्जी थे. 2016 में 'एक्स्ट्राजुडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिली एसोसिएशन ऑफ मणिपुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' पर अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस मदन लोकुर और यूयू ललित की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हेगड़े आयोग के निष्कर्षों का हवाला दिया था.

NOTES

4 भारत में वन्य जीवों की बढ़ती तस्करी : चुनौतियां और समाधान की पहल

- **चर्चा में क्यों**
- **भारत में वन्य जीवों की तस्करी**
- **वन्य जीव अपराधों और तस्करी से निपटने के हालिया उपाय**
- **कुछ संस्थागत उपाय**

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत में कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जो वन्य जीवों से जुड़े अपराधों और तस्करी के नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति बनाने की जरूरत को स्पष्ट करती हैं. महा. राष्ट्र में ठाणे से हाल ही में दो करोड़ रुपये से अधिक की दुर्लभ व्हेल 'एम्बरग्रिस' बेचने के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 'एम्बरग्रिस' मोम जैसा एक ठोस पदार्थ होता है जो व्हेल मछलियों के पाचन तंत्र में उत्पन्न होता है और इसे आम भाषा में ''व्हेल वमन'' भी कहा जाता है. चूंकि भारत में वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 के तहत व्हेल मछली विलुप्त प्रजातियों की सूची में शामिल है इसलिए एम्बरग्रिस रखना गैरकानूनी है.

वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सीमांत जिलों में वन्य जीव तस्करी से गुलदार और भालुओं का जीवन खतरे में पड़ गया है. गुलदार के अंगों की तिब्बत में विशेष मांग रहती है. भारत से तिब्बत चीन तक सीधे तस्करी नहीं होती है. इसमें नेपाल के तस्कर बिचौलिये होते हैं. इसके अलावा हाल के समय में भारत के कुछ राज्यों में मॉनिटर लिजर्ड, पैंगोलिन, उल्लुओं की तस्करी बढ़ गई है. इसी साल भारत-बांग्लादेश सीमा इलाके में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उनके चंगुल से 31 दुर्लभ प्रजाति के सांपों को आजाद कराया है. इन सांपों को तस्कर अवैध तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करा कर भारत से बंग्लादेश भेजने की फिराक में थे.

भारत में वन्य जीवों की तस्करी :

भारत में बाघ और तेंदुए की खाल, उनकी हड्डियां और शरीर के अन्य अंग, गैंडे के सींग, हाथी दांत, कछुए, समुद्री घोड़े, सांप का विष, नेवले के बाल, सांप की खाल, सी कुकुम्बर, चीरू का ऊन, कस्तूरी मृग की कस्तूरी, भालू का पित्त, औषधीय पौधे, लाल चंदन की लकड़ी और पिंजरे में रखे जाने वाले पक्षी जैसे पैराकीट, मैना और मुनिया की तस्करी की जाती रही है.

अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है कि ये अमूल्य प्रजातियां भारत में मौजूद हैं. लेकिन ऐसी प्रजातियां तेजी से लुप्त हो रही हैं. भारत में सिर्फ 25 चीरू ही अब बचे हैं. सबसे अधिक तस्करी पेंगोलिन, समुद्री घोड़ों और कछुओं की जाती है. 2018 में ट्रैफिक इंडिया ने एक अध्ययन जारी किया जिसमें कहा गया था कि 2009 से 2017 तक भारत से कम से कम 5,772 पैंगोलिन को अवैध व्यापार के लिए पकड़ा गया.

पेटागोनियन समुद्री घोड़ा (हिप्पोकैम्पस पे. टागोनिकस) उन तीन समुद्री घोड़ों में से एक है जिसे उसके औषधीय गुणों के कारण तस्करी का शिकार बनाया जाता है. वहीं भारतीय स्टार कछुए की तस्करी विश्व स्तर पर अब सबसे अधिक की जाती है. पालतू पशु के तौर पर इसकी सबसे अधिक मांग है.

वन्य जीव अपराधों और तस्करी से निप. टने के हालिया उपाय :

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसी. सीबी), नई दिल्ली के एक खुफिया अभियान के तहत जम्मू और कश्मीर में वन्यजीव अवैध शिकार और व्यापार के दो प्रमुख केंद्रों की पहचान की गई. पहला केंद्र श्रीनगर घाटी के अनंतनाग क्षेत्र में और दूसरा जम्मू क्षेत्र के मनवल में स्थित है.

जम्मू और कश्मीर के मुख्य वन्यजीव वार्डन और स्थानीय पुलिस के अधिकारी के साथ दिल्ली से गए डब्ल्यूसीसीबी अधिकारियों के एक संयुक्त अभियान में, इन दोनों स्थानों पर 29 जनवरी, 2021 को एक साथ छापे मारे गए. इसमें 13 तेंदुओं की खालें, नाखून, खोपड़ी, हड्डियों, 38 भालू के पित्त व 04 कस्तूरी जब्त की गई है.

वर्तमान जब्ती, हाल के दिनों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है. कस्तूरी मृग और हिमालय काले भालू लुप्तप्राय प्रजा. तियां हैं और कस्तूरी व भालू-पित्त के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, जिसका उपयोग पारंपरिक चीनी दवाओं (टीसीएम) में होता है. इन शिकार किए गए जानवरों-तेंदुए, भालू और कस्तूरी हिरण को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसू

ची-एक में सूचीबद्ध किया गया है. अधि नियम के प्रावधानों के अनुसार, इन जानवरों का अवैध शिकार और उनके अंगों के व्यापार करने की सजा न्यूनतम 03 वर्ष का कारावास है, जिसे 07 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

भारत के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा 22 मई, 2019 को वन्य जीवों की तस्करी को रोकने का अभियान देश भर के हवाई अड्डों पर शुरू किया गया. इसमें जिन वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का निर्णय हुआ उसमें शामिल थे :बाघ, पैंगो. लिन, स्टार कछुआ और टाउकेई छिपकली.

22 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और भारत के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) ने एक जाग. रूकता अभियान 'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' शुरू किया है, जो देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर देखने को मिलेगा. इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और वन्य जीवों के संरक्षण तथा उनकी रक्षा, तस्करी रोकने और वन्य जीव उत्पादों की मांग में कटौती लाने के लिए जन समर्थन जुटाना है. यह अभियान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण वैश्विक अभियान, जीवन के लिए जंगल के जरिए वन्य जीवों के गैर-कानूनी व्यापार पर विश्वव्यापी कार्रवाई का पूरक है. अभियान के पहले चरण में बाघ, पैंगोलिन, स्टार कछुआ और टाउकेई छिपकली को चुना गया है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवैध व्यापार होने के कारण अस्तित्व खतरे में है. बाघ का उसकी खाल, हड्डियों और शरीर के अंगों के लिए, छिपकली का उसके मीट और उसकी खाल का परम्परागत दवाओं में, स्टार कछुए का मीट और पालने के लिए तथा टाउकेई छिपकली का दक्षिण-पूर्व एशिया खासतौर से चीनी बाजारों में परम्परागत दवाओं के लिए अवैध व्यापार किया जाता है.

दूसरे चरण में इससे अधिक खतरे वाली प्रजातियों शामिल किया जाएगा और तस्करी के अन्य मार्गों का पता लगाया जाएगा. दूसरे

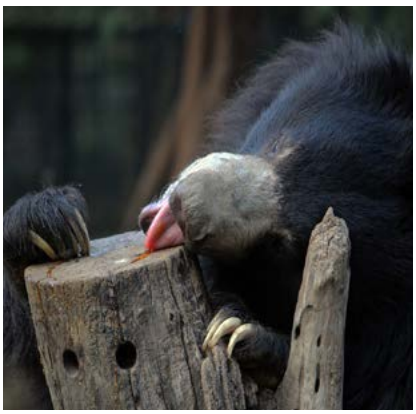

चरण में जिन जीवों की प्रमुख प्रजातियों को शामिल किया गया है उनमें शामिल हैं:- स्टार कछुए, पक्षी, शहतूत, शोल, बाघ और तेंदुए के विभिन्न अंग, हाथीदांत, गैंडे के सींग, पैंगोलिन और पैंगोलिन की खाल, सी. पियां, समुद्री घोड़ा, सी कुकुम्बर, रेंगने वाले जंतुओं की खालें, जीवित सांप, छिपकलियां, मूंगा और औषधीय जड़ी-बूटियां शामिल हैं.

कुछ संस्थागत उपाय :

वन्य जीव अपराधो और तस्करी से निपटने के संस्थागत प्रयासों को देखें तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई है, ताकि देश में संगठित वन्यजीव अपराधों का मुक. ाबला किया जा सके. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 38 (जेड) के तहत ब्यूरों को संगठित वन्यजीव आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी आसूचना एकत्र करने और राज्यों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाने का अधिकार है ताकि अपराधियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा इस धारा के तहत वन्यजीव अपराध डेटाबैंक को स्थापित करने का भी प्रावधान शामिल है. ब्यूरो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों, प्रासंगिक नीतियों और कानूनों पर सरकार को सलाह देता है.

इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों में जीवों की तस्करी को रोकने के लिए सक्रियता से काम कर रहा है. हाल के समय में भारतीय तट रक्षक बल की टीम ने तमिलनाडु के मंडपम में तेजी से संचालित किए गए अभियान में समुद्री खीरे की तस्क. री के मामले में 2 हजार किलोग्राम समुद्री खीरे जब्त किये. जब्त समुद्री खीरे की कीमत करीब 8 करोड़ रुपये थी. यह प्रजा. ति लुप्तप्राय के रूप में जानी जाती है. यह प्रतिबंधित प्रजाति है इस प्रजाति का लेनदेन अवैध है.

NOTES

5 परिवर्तित हो रहे भू -राजनैतिक परिदृश्य में भारत रूस सम्बन्ध

- **सन्दर्भ**
- **परिचय**
- **भारत रूस 21वा शिखर सम्मलेन**
- **2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता**
- **भारत तथा रूस का सम्बन्ध : एक अवलोकन**

सन्दर्भ

हाल ही में भारत तथा रूस के मध्य 10 वर्षों का एक सैन्य समझौता हुआ है। इसी के साथ भारत तथा रूस के मध्य "2+2" वार्ता आरम्भ हुई है। यह भारत तथा रूस के पारम्परिक सम्बन्धो को और मजबूत करेगा.

परिचय

हाल ही में 21 वे भारत- रूस शिखर सम्मेलन हेतु रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन का भारत आगमन हुआ जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई . शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों ही शासनाध्यक्षों ने भारत तथा रूस एक दूसरे का घनिष्ठ सहयोगी बताया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजी से बदल रही भू राजनीतिक परिदृश्य में भी भारत तथा रूस के संबंध अपरिवर्तित रहते हैं। इस दौरान भारत के मध्य रक्षा संबंधों हेतु 10 वर्ष का एक समझौता हुआ तथा 2+2 वार्ता आरंभ की गई.

भारत रूस 21वा शिखर सम्मलेन:-

21 वे शिखर सम्मेलन के दौरान भारत तथा रूस के मध्य रणनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, रक्षा क्षेत्र तथा अन्य उभयनिष्ठ बिंदुओं के संबंध में चर्चा की गई.

- आर्थिक क्षेत्र को और अधिक घनिष्ट बनाने के लिए भारत तथा रूस के मध्य 2025 तक 30 बिलियन डॉलर के ट्रेड तथा 50 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए सरकारें अपने-अपने उद्यमियों की समिति को निर्देशित करेंगे.
- इसके साथ ही सम्मेलन में यह निर्देशित किया गया कि संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई, ड्रग ट्रैफिकिंग ,आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों सहयोग करेंगे.
- सम्मलेन में यह निर्देशित किया गया कि अफगानिस्तान तथा अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों ही देशों की चिंता साझा उद्देश्यों से प्रेरित होंगी.
- इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गुटनि. रपेक्षता तथा इंडियन ओसियन एसोसिएशन में पर्यवेक्षक बनने के लिए रूस का अभिनंदन किया है.

2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता :-

- यह भारत द्वारा प्रायोजित एक वार्ता है जिसमें भारत तथा सहयोगी देश के रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्री के मध्य विभिन्न बिंदुओं पर वार्ता होती है.
- इस वार्ता में भारत की तरफ से मुख्य रूप से मध्य एशिया तथा हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में बात की गई वही रूस से S-400 तथा राइफल 203 के संदर्भ में वार्ता की गई.
- इस वार्ता में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहीं रूस की तरफ से विदेश मंत्री शरगे लावरोव तथा रक्षा मंत्री शरगे शोइगु ने भाग लिया.
- यह वार्ता राष्ट्रपति पुतिन के भारत आग. मन के पूर्व संपन्न हो चुकी थी.

भारत तथा रूस का सम्बन्ध : एक अवलोकन

पृष्ठभूमि

- भारत तथा रूस का संबंध बहुत ही पुराना है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई क्रांतिकारियों को रूस के आंदोलनों ने प्रेरित किया था. भारत के कई बड़े नेता यथा जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस सभी समाजवाद से प्रेरित थे जो रूसी साम्यवाद से मिलता हुआ एक स्वरूप था. भारत में स्वतंत्रता के दौरान साम्यवादी विचारधारा ने लोगों को प्रभावित किया था. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव भी बनाया था.
- स्टालिन के शासन के दौरान भारत तथा रूस के संबंध उतने बेहतर नहीं थे इसका कारण यह था कि स्टालिन की मान्यता थी कि जो समाजवाद के साथ नहीं है वह पूंजीवादी है तथा वह भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन मानते थे.
- परंतु 1953 में ख्रुश्चेव के सत्ता में आने के उपरांत रूस की विचारधारा परिवर्तित हुई तथा रूस ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए यह माना कि भारत

पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक नहीं है। रूस द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर भी भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन किया गया। भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के संबंधों में मधुरता आई.

- 1962 के युद्ध में रूस की चीन के प्रति उदासीनता तथा 1965 के युद्ध में भारत पाक संधि के लिए मध्यस्थता भारत के लिए रूस के महत्व को प्रदर्शित करती है. 1962 के बाद भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी रूस द्वारा सहयोग किया गया. वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत को खुफिया सूचनाएं भी उपलब्ध कराई तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का समर्थन किया. जिस समय अमेरिका चीन तथा पाकिस्तान का सामरिक त्रिकोण भारत के विरुद्ध था उस समय रूस ने भारत के साथ शांति व मित्रता संधि कर भारत को मजबूती प्रदान की.
- 1991 के पूर्व तक भारत शस्त्र आयात के लिए पूर्ण रूप से सोवियत संघ पर निर्भर था परंतु सोवियत संघ ने भारत पर कभी भी प्रतिकूल शर्तें नहीं लगाई। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की स्थिति में रूस ने भारत के साथ रुपए रूबल में व्यापार को मंजूरी प्रदान की.
- 1991 के बाद सोवियत रूस के विघटन के उपरांत संबंधों को व्यवहारिकता तथा पारस्परिकता पर पुनः निर्मित किया गया. 1991 के पूर्व भारत पूर्ण रूप से सोवियत संघ पर निर्भर था परंतु उसके उपरांत भारत को नए सहयोगी की आवश्यकता पड़ी.
- 1991 के बाद रूस ने यूरोपीय देशों तथा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया परंतु उसे पर्याप्त सफलता नहीं प्राप्त हुई तथा नाटो के पूर्वी यूरोप की तरफ अपने प्रभाव विस्तार के कारण रूस भारत तथा चीन के साथ संबंधों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने लगा. 1991 के उपरांत रूस की विदेश नीति एशियाई देशों की तरफ प्रतिस्थापित हुई.
- 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण कि रूस के द्वारा आलोचना की गई परंतु रूस ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन भी नहीं किया.
- वर्ष 2000 में दिल्ली घोषणा पत्र के साथ भारत तथा रूस के संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान की गई 2008 को भारत ने रूस का वर्ष के रूप में तथा 2009 को रूस ने भारत का वर्ष के रूप में मनाया.

अभी हाल ही में भारत की अमेरिका के तरफ संबंधों को बढ़ता हुआ देख लोग कयास लगा रहे थे कि भारत तथा रूस के बीच कुछ दूरियां हो चुकी हैं परंतु ऐसा नहीं है भारत तथा रूस एक दूसरे के पारंपरिक सहयोगी हैं तथा वे विभिन्न क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे.

भारत तथा रूस के मध्य विभिन्न क्षेत्रो में सम्बन्ध

- वर्ष 1974 के उपरांत भारत तथा रूस के मध्य परमाणु क्षेत्र में उल्लेखनीय सहयोग हुआ परंतु 1991 के बाद जब रूस कमजोर हो गया अमेरिका ने भारत पर एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया तथा रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया. परंतु 1995 के उपरांत परमाणु अप्रसार को वैश्विक मानते हुए रूस ने इसे भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनने दिया. भारत में रूस के सहयोग से कुडानुक्लम परियोजना का आरंभ किया गया तथा भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में 6 नए रिएक्टर स्थापित करने पर विचार किया गया.
- 2017 में भारत की एनएसजी में सदस्यता पर रूस ने भारत का समर्थन किया.
- कश्मीर मुद्दे के आरंभ के उपरांत से ही सोवियत संघ या रूस द्वारा कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया गया। 1999 में कारगिल युद्ध पर भी रूस ने भारत का समर्थन किया तथा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना है. हाल ही में अनुच्छेद 370 को निरसित करने के मामले में भी रूस ने इसे भारत का आंतरिक मामला कहा है.

- भारत, रूस दोनों ही आतंकवाद से ग्रस्त हैं रूस में चेचन्या मुस्लिम समुदाय अलगाववाद की मांग कर रहा है जहां की स्थिति लगभग कश्मीर से मिलती-जुलती है. आतंकवाद से निदान के लिए दोनों ही देश निरंतर प्रयत्नशील हैं. हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के उपरांत अफगानिस्तान से होने वाले आतंकवाद के निदान के लिए दोनों ही देश साझा रणनीति पर विचार कर रहे हैं.
- भारत अभी भी रूप से लगभग 65% शस्त्रों का आयात करता है। इसके साथ ही भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस पर निर्भर है। मध्य एशियाई देश जो पूर्व में रूस का ही हिस्सा थे उनके साथ संबंध स्थापना में रूस सहयोगी हो सकता है जिससे भारत की ऊर्जा संकट की समस्या एक सीमा तक हल हो सकती है.
- भारत तथा रूस शंघाई सहयोग संगठन तथा ब्रिक्स तथा आरआईसी में एक दूसरे के सहयोगी हैं.
- रूस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष विभाग को भी सहयोग प्रदान किया गया है.

रूस -चीन संबंध तथा भारत- अमेरिका संबंध के आलोक में भारत तथा रूस संबंधों पर प्रभाव

- पिछले 7 दशकों से अधिक समय में भारत तथा रूस एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं. परंतु वर्तमान परिस्थितियों में भारत तथा चीन के मध्य तनाव की एक बड़ी श्रृंखला मौजूद है तथा रूस एवं चीन एक-दूसरे के बड़े सहयोगी के रुप में उभर रहे. इसी की विपरीत एक स्थिति यह है कि भारत अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं जबकि रूस अमेरिका एक दूसरे के पारंपरिक विरोधी हैं.
- 1991 के पूर्व भारत शस्त्रों के लिए मात्र रूस पर निर्भर था परंतु अब भारत अमेरिका तथा इजराइल से शस्त्र आयात कर रहा है.

- इन घटनाक्रमों के मध्य पहली बार रूस तथा पाकिस्तान के मध्य सहयोग स्थापित हुआ है जो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है.
- चीन द्वारा रूस से भारी मात्रा में शस्त्र तेल तथा गैसों का आयात किया गया है जो कि रूस की अर्थव्यवस्था को सहयोग प्रदान करता है रूस तथा चीन के मध्य तेल गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए भी समझौता किया गया है रूस उन शस्त्रों को भी चीन को दे रहा है जो इसके पूर्व मात्र भारत को दिए जाते थे.
- भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता हुआ सहयोग रूस के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि भारत क्वाड का एक सदस्य है जिसे मुख्य रूप से चीन तथा अप्रत्यक्ष रूप से रूस के विरुद्ध प्रयोग किए जाने की संभावना है
- अभी हाल ही में S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के मुद्दे पर अमेरिका ने आपत्ति दर्ज कराई गई थी.
- यद्यपि समय के साथ परिवर्तित हुए इन समीकरण से भारत तथा रुस के द्विपक्षीय सम्बन्ध अधिक प्रभावित नहीं होगें क्योकि ये यर्थाथवाद- तथा पारस्परिकता- को मानते हैं.

आगे की राह

- भारत और रूस एक दूसरे के परंपरागत सहयोगी हैं परंतु कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है. भारत तथा रूस का मुख्य रूप से व्यापारिक सहयोग मात्र रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में है जिसके कारण पर्याप्त संभा. वनाओं के उपरांत भारत तथा रूस के मध्य व्यापार मात्र 10.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तथा इस क्षेत्र को आईटी फार्मा कृषि उद्योग मिनरल्स एंड मेटल्स बुनियादी संरचना परियोजना इत्यादि में विस्तृत किए जाने की आवश्यकता है जिससे दोनों ही देशों का विकास हो सके.
- भारत तथा रूस के मध्य 2 + 2 वार्ता से एक नवीन संबंधों का आरंभ होगा.
- भारत और रूस के मध्य संबंधों की स्थि. रता मे दोनों देशों के मध्य पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी महत्वपूर्ण है. दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को सबसे घनिष्ठ सहयोगी के रूप में देखते हैं.
- दोनों ही देशों के धार्मिक आधारों में बौद्ध तथा ईसाई धर्मो की उपलब्धता सहयोग मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.

6 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के विभिन्न आयाम

- **संदर्भ**
- **परिचय**
- **मानवाधिकार क्या हैं : परिभाषा**
- **वर्तमान विश्व में मानवाधिकारों के हनन के प्रमुख मुद्दे**
- **वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के उलंघन के रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयास**
- **मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास**
- **आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966**
- **आगे की राह**

संदर्भ

वर्तमान विश्व में ऐसी कई घटनाएं दिख रही हैं जो मानव अधिकारों को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं. वर्तमान विश्व में जहां एक तरफ गए राज्य समर्थित कारक यथा आतं. कवाद संगठित अपराध इत्यादि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं वहीं विभिन्न राज्यों यथा म्यांमार अफगानिस्तान द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे सामने आए हैं.

परिचय

पुनर्जागरण के दौरान मानववादी दर्शन के उत्पाद के रूप में विकसित मानवाधिकार की अवधारणा पिछले दो दशकों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बनी हुई है. द्वि तीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक रूप से मानवाधिकारों का उलंघन हुआ है. जहाँ एक तरफ हिटलर द्वारा यहूदियों को गैस भट्ठियों में बंद करना मानवाधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध था वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकारों के हिमायती कहलाने वाले अमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम का प्रयोग कर मानवाधिकारों के उलंघन का एक बड़ा दृष्टान्त प्रस्तुत किया. द्वितीय विश्वयुद्ध के

उपरांत मानव अधिकारों का मुद्दा दो भिन्न अवधारणाओं के साथ वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा था. एक तरफ जहां उपनि. वेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षरत सेनानियों ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघनक. ारी बताया वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी वर्ग ने रूस के नेतृत्व वाले साम्यवादी वर्गों को मानवाधिकारों का उल्लंघनकारी बताया.

मानवाधिकार क्या हैं : परिभाषा

- हेराल्ड लास्की के अनुसार मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तथा गरिमा पूर्ण जीवन यापन नहीं कर सकता.
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार मानव अधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अंतरराष्ट्रीय संधियों में वर्णित है, साथ ही भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है.

वर्तमान विश्व में मानवाधिकारों के हनन के प्रमुख मुद्दे

गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा मानवाधिका. रों का हनन :-

1. आतंकवाद द्वारा मानवाधिकारों का हनन

- आतंकवाद मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे बड़ा तथा गंभीर कारण है. आतं. कवादियों द्वारा आए दिन विभिन्न स्थानों पर किए जाने वाली हिंसक कार्यवाही यथा बम ब्लास्ट गोलीबारी इत्यादि से लोगों के जीवन की हानि होती है अथवा अंग भंग का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही एक भय का वातावरण बन जाता है जिससे व्यक्ति अपने समुचित विकास के अवसर को खो देता है.
- आतंकवादियों द्वारा कम उम्र के बच्चों को कट्टरपंथ के नाम पर बहला कर उन्हें मानव बमों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो उन बच्चों के भी मानवाधिकारों का हनन करता है.
- आतंकवाद द्वारा जीवन का अधिकार, व्यापार का अधिकार, निर्बाध विचरण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इत्यादि

अधिकारों का उलंघन होता है.

- इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार संपूर्ण विश्व के लगभग 163 देश पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से आतं. कवाद से प्रभावित हैं. इस प्रकार यह मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघनकारी कारक बन चुका है.
- वर्तमान में आईएसआईएस, के प्रभावों के कारण सीरिया में व्यापक स्तर पर मानवाधि कारों का उलंघन हो रहा है जो शरणार्थी संकट का भी प्रमुख कारण है.

संगठित अपराध

- संगठित अपराध की श्रेणी में मादक पदा. र्थों की तस्करी, किडनैपिंग, नकली शराब का कार्य इत्यादि आते हैं. मादक पदार्थों के प्रयोग से व्यक्ति की क्षमता प्रभावित होती है तथा व्यक्ति अपनी क्षमता के विनाश की तरफ बढ़ने लगता है. इस प्रकार संगठित अपराध गरिमामय जीवन, शोषण के विरुद्ध संरक्षण इत्यादि अधिकारों का उलंघन करते हैं.

साइबर अपराध द्वारा मानवाधिकारों का उलंघन

तकनीक के बढ़ने के साथ-साथ जहां मानवीय सुविधाओं में वृद्धि हुई वहीं अपराध के तरीकों में भी वृद्धि हुई. साइबर अपराध इसी का एक अंग है. साइबर अपराध के द्वारा व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है इसी के साथ साथ एटीएम से चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड इत्यादि के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता का भी हनन किया जाता है.

अन्य अराजक तत्वों द्वारा मानवाधिकारों का उलंघन

- वर्तमान विश्व में अराजक तत्वों द्वारा बलात्कार, हत्या, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं प्राय: होती रहती हैं. जो मानवाधि कारों का उलंघन है.
- बलात्कार के संबंध में सभी देशों की एजेंसियों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार लग. भग 35 प्रतिशत महिलाओं को अपने जीवन में एक या अधिक बार यौन उत्पीडन का सामना करना पड़ रहा है..
- इसके साथ ही विश्व के अधिकांश भागो में व्याप्त अलगाववादी तथा साम्प्रदयिक भा. वनाओ के कारण मानवाधिकारों का व्यापक उलंघन होता है.

समाज द्वारा मानवाधिकारों का उलंघन

- कई बार रूढ़ियों के नाम पर समाज के द्वारा मानवाधिकार के हनन की घटनाएं सामने आती हैं. 2019-20 में अमेरिका में अश्वेत लोगों के साथ किया जाने वाला भेदभाव इसका प्रमुख उदाहरण था.
- भारत में भी सामाजिक रूढ़ी के नाम पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिलाएं, समलैंगिक समुदाय इत्यादि के साथ भेदभाव किए जाते हैं जो उन सभी वर्गों के मानवाधिकारों का हनन करते हैं.

राष्ट्रों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले

- हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के उपरांत वहां के लोगों के मानव अधिकार का व्यापक हनन हुआ. यह मामला इतना अधिक बढ़ गया कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मामलों की प्रमुख मिशेल बैशलेट ने तालिबानी नेताओं से अफगानिस. तान में सभी व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की चेतावनी दी है.
- म्यांमार में हाल ही में लोकतंत्र का विघटन किया गया. वहां पर लोकतंत्र समर्थकों पर निरंतर हिंसक कार्यवाही की जा रही है. इसके पूर्व भी म्यांमार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के साथ किया जाने वाला बर्ताव स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा था.

• चीन पश्चिमी क्षेत्र के शिंजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिमो के धार्मिक स्वतंत्रता को कम करते हुए उन्हें द्वितीय श्रेणी का नाग. रिक समझता है यह स्पष्ट रूप से मान. वाधिकारों का उलंघन है.

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के उलंघन के रोकथाम हेतु किये जाने वाले प्रयास: आधुनिक युग में मानवाधिकारों का आरंभ

• 1776 में अमेरिकी क्रांति के उपरांत अमेरिका द्वारा यह घोषणा की गई थी कि "हमारे लिए यह स्वयं सिद्ध सत्य है कि मनुष्य जन्म से समान है"

• फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत आए स्वतंत्रता समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत ने मानवाधि कारों को और मजबूती प्रदान की.

• प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत बने लीग आफ नेशंस के सहयोग से निर्मित अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने श्रमिकों के अधिकारों तथा बालकों के अधिकारों के संरक्षण तथा दासता व बलात श्रम के उन्मूलन में विशेष प्रयास किए.

• द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के उपरांत निर्मित संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की स्थापना के लिए समग्र रूप से प्रयास किया गया.

मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास:

संयुक्त राष्ट्र चार्टर

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानवाधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है. चार्टर की प्रस्तावना में ही मूल अधिकारों, मानवीय गरिमा, स्त्री पुरुष समानता तथा सभी के लिए समान अधिकारों की मांग की गई है.

• प्रस्तावना के अतिरिक्त अनुच्छेद 1, 13, 55 और 56 मानव अधिकारों से संबंधित है.

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948:

• 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को पारित किया गया. इस घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद है जो नागरिक अधिकारों, आर्थिक अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों इत्यादि से संबंधित है.

• मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा मानवाधिकारों में समान है उनके तर्क तथा अंत:करण है तथा उनमें एक दूसरे के प्रति बंधुत्व का व्यवहार होना चाहिए" यह सार्वभौमिक घोषणा के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है.

आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966

• इस प्रसंविदा में कुल 31 अनुच्छेद है जो पांच भागों में विभाजित है.

• इस प्रसंविदा के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार, युक्ति युक्त सुविधा प्राप्त करने का विधान, श्रमिक अधिकार, मातृत्व लाभ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा का अधिकार तथा सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार दिया गया है.

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा 1966

• इसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों में धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति इत्यादि के आध र पर विभेदन से प्रतिषेध का अधिकार, विधिक सहायता पाने का अधिकार, गिरफ्ता. री के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार इत्यादि सम्मिलित हैं.

इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार आयोग तथा महिलाओं की स्थिति पर आयोग निर्मित किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के तत्वाधान में कार्य करते हैं तथा वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं. उपरोक्त अंतरराष्ट्रीय प्रसं. विदाओं तथा कानूनों के अतिरिक्त यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय, मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय 1969, मानवाधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर तथा भारतीय संविधान इत्यादि ऐसे दस्तावेज हैं जो वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों का संरक्षण करते हैं.

आगे की राह

उपरोक्त प्रावधानों तथा कानूनों के उपरांत भी विश्व में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है इस संदर्भ में निम्न कदम उठाए जाने की आवश्यकता है.

• संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रों पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए.

• भारत, अमेरिका तथा जापान जैसे देशों को अन्य देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाते समय मानवाधिकार के आध ारों को प्रतिस्थापित करना चाहिए.

• वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास करना चाहिए.

• वर्तमान समय में चीन द्वारा सीमा विवाद, अंतरराष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन, मानवाधि कारों का उल्लंघन तथा नव साम्राज्यवाद की स्थापना का प्रयास एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है. अत: वैश्विक समुदाय को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए.

NOTES

7 आपसी सम्बन्धो को मजबूत करता भारत-मध्य एशिया डायलॉग

- संदर्भ
- भारत-मध्य एशिया डायलॉग के मुख्य बिंदु
- पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट
- पर्यावरण पर सहयोग
- आगे की राह

संदर्भ

हाल ही में भारत-मध्य एशिया वार्ता की तीस. री बैठक भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित की गई. बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया. बैठक के बाद मध्य एशियाई विदेश मंत्रियों ने भारतीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की. विदेशमंत्रियों के दौरे में भारत तथा मध्य-एशिया के मजबूत सम्बन्धो तथा इन सम्बन्धो को और अधिक प्रगाढ़ करने के उपायों तथा जनवरी 2022 में होने वाले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मलेन पर चर्चा की गइ.

भारत-मध्य एशिया डायलॉग के मुख्य बिंदु :

इस वार्ता में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को रेखांकित किया गया तथा एक व्यापक और स्थायी भारत-मध्य एशिया साझेदारी के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई गयी.

कनेक्टिविटी पर वार्ता :-

- मंत्रियों ने इंटरकनेक्टिविटी को मजबूत और विस्तारित करने के लिए मध्य एशियाई देशों और भारत के बीच निरंतर बड़े पैमाने पर और दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया. इस संदर्भ में तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के महत्व पर जोर दिया.
- इस वार्ता में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे पर "अश्गाबात समझौते" के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया गया.
- मध्य-एशिया के विदेशमंत्रियों द्वारा चाब. हार बंदरगाह को आईएनएसटीसी के ढांचे के भीतर शामिल करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया. साथ ही मध्य और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संपर्क के विकास और सुदृढ़ीकरण से संबंधित मुद्दों पर सहयोग में रुचि व्यक्त की गई.

कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा :-

- मध्य-एशियाई मंत्रियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के अपने प्रारंभिक चरण के दौरान टीकों और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु भारतीय सहायता की सराहना की.
- इस वार्ता के दौरान मध्य-एशियाई विदेशमंत्रीयों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में व्यापक टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया। इस संबंध में टीका साझा करने, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमताओं के विकास, चिकित्सा उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने और मूल्य पारदर्शिता के संबंध में निरंतर सहयोग का आह्वान किया गया.

क्षमता निर्माण के सम्बन्ध में वार्ता :-

- मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों ने अपने देशों के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास में भारत के भूमिका की सराहना की है. विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार कौशल में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम पर चर्चा हुई.
- भारत के विदेश मंत्री ने मध्य एशियाई देशों की आवश्यकताओं के अनुसार आई. टीईसी स्लॉट की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया. भारतीय विदेश मंत्री ने साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष ऊर्जा आदि के क्षेत्र में मध्य एशियाई देशों के पेशेवरों के लिए भारत में अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करने की बात की.

व्यापार पर वार्ता :-

- इस वार्ता के दौरान व्यापार की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया. भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार और निवेश के मौजूदा स्तर को नोट किया गया और व्यापार के लिए पूरी क्षमता हासिल करने के लिए ठोस प्रयासों पर बात की गयी.

• दोनों क्षेत्रों के मध्य फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ऊर्जा, वस्त्र, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों में व्यापार की महत्व दिया गया। व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत-मध्य एशिया व्यापार परिषद (आई सीएबीसी) को भारत-मध्य एशिया वार्ता के तहत बी-2-बी निकाय के रूप में जारी रखने का आह्वान किया गया.

पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट :-

• मंत्रियों ने विशेष राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें वित्त, नवीकरण ीय ऊर्जा, सूचना, डिजिटल और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र शामिल हैं। वार्ता के दौरान भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पर्यटन और व्या. पारिक संबंधों की क्रमिक बहाली का समर्थन भी किया गया.

• दोनों पक्षों ने चिकित्सा पर्यटन सहित स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को गहरा करने की इच्छा व्यक्त की.

• भारत और मध्य एशियाई देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्रों के अध्ययन को ध्यान में रखते हुए उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया.

पर्यावरण पर सहयोग :-

• इस वार्ता में समानता, राष्ट्रीय परि. स्थितियों में साझा किन्तु विभेदीकृत उत्त. रदायित्व (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांत के अनुरूप यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर सहमति व्यक्त की गई.

• कार्यक्रम में भारत ने प्रभावी रूप से पेरिस समझौते का कार्यान्वयन में सौर ऊर्जा की आवश्यकता के महत्व को बताते हुए "अंत. र्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)" पहल की भूमिका पर प्रकाश डाला.

• भारत ने आर्थिक नुकसान को कम करने और आपदाओं की स्थिति में समुदायों की भलाई में सुधार के लिए आपदा प्रति. रोधी बुनियादी ढांचे के सम्बन्ध में "डिजास्टर रिजिलिएंट बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)" की भूमिका को भी रेखां कित किया.

आतंकवाद :-

भारत तथा मध्य-एशिया द्वारा संयुक्त रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की गई. यह स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद को आश्रय देना, आतंकवाद को वित्तपोषित करना, हथियारों और मादक पदा. र्थों की तस्करी करना, कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार और दुष्प्रचार करने के लिए साइबर स्पेस का प्रयोग करना तथा हिंसा भड़काना, मानवता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है.

रणनीतिक सहयोग पर वार्ता :-

• इस डायलॉग में अफगानिस्तान संकट, भारत तथा मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार की वृद्धि, रणनीतिक सहयोग की गतिशीलता इत्यादि पर चर्चा की गई. इस सन्दर्भ में नवंबर, 2021 की दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता के परिणाम दस्तावेज पर भी फोकस किया गया.

• दोनों के द्वारा यूएनएससी में 2021 में प्रस्तावित प्रस्ताव 2593 (जो स्पष्ट रूप से मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी कृत्यों को आश्रय देने, प्रशिक्षण देने, योजना बनाने या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाए और सभी आतंकवादी समू. हों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया जाए) के महत्व की पुष्टि की.

शंघाई सहयोग संगठन के विषय में वार्ता

मध्य-एशिया के विदेशमंत्रियों ने कहा कि

एससीओ शांति और सतत विकास हासिल करने, क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने और अच्छे-पड़ोसी और आपसी विश्वास के संबंधों को मजबूत करने में रचनात्मक भू. मिका निभाता है. इस दौरान मंत्रियों ने 17 सितंबर 2021 को दुशांबे में आयोजित एस. सीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक के परिणामों को रेखांकित किया.

अन्य सहयोग

• मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने विस्तारित और संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपने-अपने देशों के समर्थन को दोहराया.

• दोनों पक्षों ने भारत और मध्य एशियाई देशों के सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, नवाचार केंद्रों और तकनीकी उद्यमों के बीच प्रत्यक्ष सहयोग बढ़ने की बात को स्वीकार किया.

• मध्य-एशियाई देशों द्वारा अश्गाबात में 11 दिसंबर, 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "शांति और विश्वास नीति-अंत. र्राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थिरता और विकास का आध ार" के परिणाम के महत्व को नोट किया.

• इस बैठक में प्रथम तथा द्वितीय वार्ता के कार्यों की समीक्षा भी की गई. इसमें भारत द्वारा अनुदान सहायता के आधार पर मध्य एशियाई देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई.

आगे की राह

• भारत सहित मध्य एशियाई देश आतं. कवाद, अलगाववाद ,तथा संगठित अपराध से ग्रस्त हैं जिनका मूल उद्भव अफगानिस्तान है। इस प्रकार इन गैर राज्य अभिकर्ताओं की समस्या के निदान में भी दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं.

• भारत मध्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक संबंध का प्रयोग करके चीन तथा पाकिस्तान के द्वारा हो रही भारत विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में रोकथाम का प्रयास कर सकता है.

संक्षिप्त मुद्दे

राष्ट्रीय

1 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम

चर्चा में क्यों ?

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) के नेशनल एपेक्स कमिटी की हाल ही में हुई पहली बैठक में कहा गया है कि एनसीएपी के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिये फंड का उपयोग करने में कई राज्य असफल रहे हैं और इससे जुड़े आंकड़ों को हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया है.

क्या कहते हैं आंकडें :-

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2018-19 से 2020-21 के लिए 114 शहरों को 375. 44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. जबकि 2021-22 के लिए 82 शहरों के लिए 290 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. वहीं केंद्र सरकार ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए और 700 करोड़ रुपये रुपये देने की बात की है.

एक तरफ जहां बिहार और चंडीगढ़ ने क्रमशः 77 प्रतिशत और 82 प्रतिशत फंड का इस्तेमाल वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया है वहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश ने केवल 17 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ ने 21 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश ने 10 प्रतिशत, असम ने मात्र 4 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश ने मात्र 2 प्रतिशत और जम्मू कश्मीर ने केवल 1 प्रतिशत फंड का इस्तेमाल एनसीएपी के तहत किया है. इस मामले में उत्तराखंड और पश्चिम बंग. ाल ने इस फंड का क्रमशः 53 प्रतिशत और 58 प्रतिशत इस्तेमाल किया गया है. जिन राज्यों ने ऐसे फंड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है उन्हें अगले तीन माह का समय दिया गया है. पर्यावरण मंत्रालय ने फैसला लिया है कि अब से यह फंड परफॉर्मेंस आधारित तथा सिटी स्पेसिफिक होगा. जो राज्य आवंटित फंड का इस्तेमाल करने में असफल रहेंगे, उनका फंड उन शहरों को दे दिया जाएगा जो वायु प्रदूषण नियंत्रण में अच्छा कार्य कर रहे हैं. पर्यावरण मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि वायु गुणवत्ता में सुधार प्रदर्शित करने वाले शहरों की संख्या जो 2019 में 86 थी वो 2020 में बढ़कर 96 हो गई है.

पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिये गए आंकड़ों में कहा गया है कि एनसीएपी के तहत कुल 22 राज्यों ने सामूहिक स्तर पर कुल निर्गत राशि (375.44 करोड़ रुपए) के केवल 33.53 प्रतिशत का ही उपयोग किया है. इस प्रकार एनसीएपी के तहत निर्गत राशि के प्रयोग में राज्य सक्रिय नही पाए गए हैं.

क्या है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्रामः-

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर में 20 से 30 प्रतिशत की कमी करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2019 में लॉन्च किया गया था. इसके तहत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 के संकेन्द्रण की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष बनाया गया है. इसके तहत लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले 122 शहरों की पहचान हाल के समय में की गई है. ऐसे शहरों की पहचान के लिए 2014 से 2018 के मध्य के एयर क्वालिटी डेटा को लिया गया है. लेकिन मूल रूप से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 132 गैर-प्राप्ति (**Non-Attainment**) शहरों को कवर करता है, जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (**NAAQS**) को पूरा नहीं करते हैं. इन शहरों की पहचान राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011-2015 की अवधि के दौरान प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता (**Ambient Air quality**) के आंकड़ों के आधार पर की गई है.

NOTES

2 "लद्दाख" को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग

संदर्भ

2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के उपरांत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव हुआ. जम्मू की अपेक्षा लद्दाख का क्षेत्र अल्पविकसित है, इस स्थिति में वहां अतिरिक्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता के फलस्वरूप लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग निरंतर उठ रही है. हाल ही में लद्दाख के सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल द्वारा लद्दाख क्षेत्र को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की गई है.

क्या है छठी अनुसूची

- छठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 द्वारा प्रदत्त प्रावधानों से स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों (स्वायत्त जिला परिषद) से संबंधित है.
- इन इकाइयों के पास राज्य के अंदर विधाई, न्यायिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता होती है.
- स्वायत्त जिला परिषदों में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहते हैं. वहीं 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. इस संदर्भ में असम का बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद एक अपवाद है जहां 40 सदस्य हैं. यह संयुक्त जिला परिषद भूमि, वन, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानून व्यवस्था, विवाह, तलाक, सामाजिक रुढियों तथा खनन के संबंध में कानून नियम तथा विनियमन बना सकती हैं. परन्तु वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं.
- राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं
- किसी क्षेत्र को पार्थक्य, अपर्याप्त विकास तथा सांस्कृतिक विविधता के आधार पर छठी अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है.
- वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में छठी अनुसूची के क्षेत्र हैं.

लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने के पक्ष में तर्क

- कश्मीर राज्य के अंदर अनुच्छेद 370 की उपस्थिति के कारण क्षेत्र की विकास, राजनीतिक आकांक्षा, पहचान तथा भाषा का हराश हुआ है.
- वर्तमान समय में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां विधानसभा नहीं है अत: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का शासन पूर्ण रूप से ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत है.
- भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य से पृथक होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग ने लद्दाख क्षेत्र को छठी अनुसूची में सम्मिलित होने की बात की थी. आयोग ने बताया कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या जनजातियों की है. आयोग ने यह भी बताया कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश बनने के उपरांत इस क्षेत्र में बाह्य जनसंख्या बढ़ जाएगी, जिससे यहाँ के जनजातियों के पृथक सांस्कृतिक विरासत पर संकट आ सकता है. आयोग ने जोर देते हुए कहा है कि वर्तमान मे क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता है.

लद्दाख को छठी अनुसूची में सम्मिलित करने पर चुनौतियाँ

- उत्तर-पूर्व के ही कई अन्य क्षेत्र जहां जनजातीय बहुलता है यथा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में छठी अनुसूची का प्रयोग नहीं किया गया है.
- लद्दाख क्षेत्र में ही क्षेत्र की स्थिति को लेकर भिन्न-भिन्न मांग की जा रही है. कारगिल जिला (जहां शिया मुस्लिम मुख्य आबादी है) पुरानी स्थिति को बहाल कराना चाहते हैं. वहीं लेह तथा कारगिल क्षेत्र के कुछ अन्य संगठन लद्दाख क्षेत्र के लिए पूर्ण राज्य दर्जे की मांग कर रहे हैं.
- संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का एक व्यापक भाग पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है तथा छठी अनुसूची अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बनाई गई है.
- लद्दाख क्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस क्षेत्र में चीन तथा पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप बना रहता है. अत: यहाँ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना होने से अलगाववाद की संभावनाएं भी जन्म ले सकती हैं.

आगे की राह

लेह लद्दाख क्षेत्र में स्वतंत्रता उपरांत समय से ही अत्यंत संकटों का सामना किया है. अत: आवश्यक है कि लेह लद्दाख के क्षेत्र के लोगों के विकास तथा पहचान को महत्व दिया जाए. इसके साथ ही हमें इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए कि यह भारत के अत्यंत रणनीतिक क्षेत्रों में भी आता है. इस प्रकार की रणनीति क्षेत्रों में स्वायत्त शासन राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को प्रभावित कर सकता है. राष्ट्रीय सुरक्षा तथा जन आ. कांक्षा दोनों ही पहलुओं को संतुलित करते हुए लेह लद्दाख क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए.

NOTES

3 सशस्त्र सीमा बल की सक्रिय होती भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सशस्त्र सीमा बल (SSB) भारत-नेपाल सीमा अवैध संचरण को रोकने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. एसएसबी ने नेपाल मूल के दो अमेरिकी नागरिक को हिरासत में ले लिया है. भारत में प्रवेश करने हेतु उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया. नेपाली मूल के ये अमेरिकी नागरिक दार्जिलिंग का दौरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे.

सशस्त्र सीमा बल एक नजर में

सशस्त्र सीमा बल देश का प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और अर्ध सैनिक बल है जिसका गठन 1963 में भारत चीन युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए किया गया था. जब यह बना तब इसका नाम सशस्त्र सीमा बल नहीं था. तब इसे स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था. 2001 में सशस्त्र सीमा बल को एक सीमा सुरक्षा बल यानि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित किया गया और 2003 में गृह मंत्रालय ने उसका नाम सशस्त्र सीमा बल रखा. 19 जून, 2001 को इसे भारत और नेपाल के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई और 2004 में इसे भारत भूटान सीमा की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई.

भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल भारत के साथ 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है. भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं, वे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार. इन राज्यों की नेपाल से लगी सीमाओं पर कई प्रकार की तस्करी और अपराध की चुनौतियां विद्यमान हैं.

इसी प्रकार भारत भूटान के साथ भी 699 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है. भूटान की सीमा भारत के चार राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है. पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों, अलगाववादियों, विप्लवकारियों और अन्य अराजक तत्वों के विदेशी शक्तियों से गठजोड़ को देखते हुए यह आवश्यक माना गया है कि भारत और भूटान की सीमा पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाए. जिस तरह से उग्रवादी संगठन, ड्रग तस्करी करने वाले समूह सक्रिय हैं, उसे देखते हुए सशस्त्र सीमा बल की भूटान की सीमा पर भूमिका का महत्व समझ में आता है.

सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख कार्यों में शा. मिल हैं :

- सीमापारीय अपराध का नियंत्रण
- तस्करी और अन्य गतिविधियों से निपटना
- सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाना
- सीमा क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के मन में सुरक्षा के भाव को विकसित करना
- काउंटर इनसरजेंसी ऑपरेशंस चलाना आदि

सशस्त्र सीमा बल सुरक्षा और भाईचारा के मोटो के साथ कार्य करता है।

अंतरराष्ट्रीय

1 श्री रमना काली मंदिर

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्व रा ढाका में स्थित श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया गया है. जिसे 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा विध्वंस कर दिया गया था.

मंदिर के संबंध में मुख्य बिंदु

- रमना काली मंदिर ढाका में स्थित एक मंदिर है, जो मुगल काल में निर्मित हुआ था.
- यह मंदिर हिंदू देवी माता काली को समर्पित है.
- इसे रमना कालीबारी के नाम से भी जाना जाता है.
- यह ढाका में सुहरावर्दी उद्यान के पास लगभग ढाई एकड़ में विस्तृत है.
- यह मंदिर माता काली के हिमालय से बंगाल के प्रवास को प्रदर्शित करता है.
- यद्यपि इस मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन बहुत पुराना है, परंतु इसका निर्माण रानी विलासमोनी देवी के संरक्षण में हुआ था.
- यह ढाका के विशालतम मंदिरों में से एक है.

मंदिर की वास्तुकला

- पिछले कई शताब्दियों से स्थापित रहने के उपरांत इस मंदिर की वास्तुकला में कई परिवर्तन देखने को मिले हैं.
- इस मंदिर के सामने एक विशाल दिघी (पूल) है जो पूजा तथा स्नान हेतु प्रयोग किया जाता है
- इस मंदिर में एक विशाल शिखर है.
- मंदिर के बगल में मां आनंदमोई आश्रम है.
- यह मंदिर उत्तर भारत में प्रचलित नागर शैली में निर्मित है.

मंदिर का विध्वंस

1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान 27 मार्च 1971 को इस मंदिर को विध्वंस किया गया था. इस

मंदिर के विध्वंस के साथ लगभग एक हजार लोगों का जनसंहार भी किया गया था.

मंदिर का पुनर्निर्माण

भारत सरकार के द्वारा इस मंदिर का पुन. र्निर्माण कराया गया है. इस नवनिर्मित मंदिर में दुर्गा, काली तथा राधा कृष्ण के मंदिर उपस्थित हैं. 50वें विजय दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है.

ऑपरेशन सर्चलाइट

- ऑपरेशन सर्चलाइट 26 मार्च 1971 से 25 मई 1971 के मध्य पाकिस्तान सेना द्वारा संचालित किया गया था. इस ऑप. रेशन का उद्देश्य बांग्लादेश (तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान) में बढ़ रहे राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता की लहर को रोकना था.
- इस ऑपरेशन के द्वारा लगभग 30,000 से 3,00,000 बंगाली लोगों का जनसंहार किया गया था.
- इसी युद्ध के दौरान भारतीय सेना के हस्. तक्षेप के उपरांत पाकिस्तान शस्त्र डालने पर विवश हुआ तथा विश्व के मानचित्र पर एक नवीन राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ.

2 पैनेक्स 21

संदर्भ

बिम्सटेक देशों द्वारा आयोजित पैनेक्स 21 कार्यक्रम को भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने संबोधित किया. अपने संबोधन में कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए संकट को रेखांकित करते हुए उन्होंने बिमस्टेक देशों द्वारा आपदा प्रबंधन क्षेत्र में संयुक्त विकास की बात की. जनरल मनोज नरवणे ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने राष्ट्रों की क्षमता को प्रभावित किया है.

क्या है पैनेक्स 21

- यह मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन का अभ्यास है जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार ,श्रीलंका तथा थाईलैंड के विषय विशेषज्ञों तथा राजनयिकों की भागी. दारी से होता है.
- यह मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित तीसरा अभ्यास है। इस प्रकार का अंतिम अभ्यास फरवरी 2020 में हुआ था। वर्ष 2021 के अभ्यास का आयोजन 20 से 22 दिसंबर 2021 के मध्य पुणे, भारत में आयोजित किया जा रहा है.
- यह एक बहुनिकायी अभ्यास है जिसमें भारत की तरफ से भारत की सशस्त्र सेनाएं तथा अन्य सिविल एजेंसियां भाग लेती हैं.

इस अभ्यास के मुख्य लक्ष्य निम्नवत हैं-

1. प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में संयुक्त योजना तथा क्षेत्रीय सहायता विकसित करना.
2. अकस्मात हुए पर्यावरण के परिवर्तनों प्रभाव से संतुलित करना.

बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनीशिए. टिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनामिक कोऑपरेशन) एक नजर में

- यह भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार तथा थाईलैंड का समूह है.
- इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी.
- इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है।
- इसमें से पांच देश भारत नेपाल श्रीलंका भूटान तथा बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देश हैं वहीं म्यांमार तथा थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं. जिसके कारण बिम्सटेक को सार्क (दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन) तथा आशियाना (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन) का कनेक्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है.
- बिम्सटेक लगभग 22% वैश्विक जन. संख्या तथा 2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है.

- हिन्द महासागर के साथ सीमा साझा करने के कारण जहां श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार तथा थाईलैंड समुद्री आपदा के प्रति सुभेद्य हैं वहीं नेपाल तथा भूटान हिमालय पर अवस्थित होने के कारण भूस्खलन तथा बाढ़ की समस्या के प्रति सुभेद्य है। भारत इन दोनों ही समस्याओं के प्रति सुभेद्य है। अत: बिम्सटेक देशो का आपदा प्रबंधन के प्रति यह कदम अत्यंत सराहनीय है.

NOTES

पर्यावरण

1 यूनाइटेड किंगडम में ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर संवेदनशील जीव घोषित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवे. दनशील जीव (**Sensitive Being**) घो. षित किया है. जिसका अर्थ है कि इन जीवों में कुछ मात्रा में चेतना होती है जिससे वे दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता दी है.

सेफलोपोड्स और डेकापॉड्स पर किया गया है अध्ययन

इन विशेषज्ञों ने 300 प्रजातियों के सेफलोपोड्स (जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड, कटलफिश) और डेकापॉड्स (जैसे क्रैब और लॉबस्टर) पर किये गए अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष यूनाइटेड किंगडम सरकार को सौंपा था और सरकार से सिफारिश की. थी कि इन्हें संवेदनशील जीव की मान्यता दी जाए. इस रिपोर्ट में इस बात की भी अनुशंसा की गयी थी कि लॉबस्टर और क्रैब को जीवित रहते उबाला नही जाना चाहिए.

बिल लाने की है तैयारी

गौरतलब है कि यूनाइटेड किंगडम में इस दिशा में काम करने के लिए द एनिमल वेलफेयर सेन्तिएंस बिल तैयार किया गया है जिसके पारित होते ही कानूनी स्तर पर आ. ॅक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया जा सकेगा.

विश्व में किये गये अन्य प्रयास

अगर भारत की बात करें तो उत्तराखंड हा. ईकोर्ट ने 20 मार्च, 2017 के अपने आदेश में गंगा और यमुना एक लिविंग एंटिटी यानी जीवित प्राणी की मान्यता दी थी. अपने इस आदेश में हाई कोर्ट ने इन नदियों को साफ और स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी राज्य सरक. ारों को दी है. वहीं वैश्विक स्तर पर देखें तो न्यूजीलैंड की संसद ने उत्तरी द्वीप में बहने वाली वांगानुई नदी को एक जीवित संस्था के रूप में मान्यता देने वाला बिल पारित किया था. ऐसे में विश्व स्तर पर यह पहली बार था, जब किसी प्राकृतिक संसाधन को कानूनी तौर पर व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया था.

2 तमिलनाडु में नवीन पक्षी अभयारण्य

सन्दर्भ :-

तमिलनाडु में विल्लुपुरम के पास स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है. इस घोषणा के बाद अब इस क्षेत्र को 'काजुवेली पक्षी अभयारण्य' कहा जाएगा.

काजुवेली पक्षी अभयारण्य के कुछ तथ्य :-

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा उक्त क्षेत्र को काजुवेली वेटलैंड्स पक्षी अभयारण्य के रूप में गठित करने की घोषणा की गई है.
- यह अभ्यारण्य वन्नुर और मरक्कनम तालुके में लगभग 5151.60 हेक्टेयर भूमि में विस्तृत है.
- इस अभयारण्य का विकास काजुवेली बैकिश वाटर वेटलैंड की 3027 हेक्टेयर भूमि तथा मरक्कनम तालुके की 2124 हेक्टेयर भूमि को मिलाकर किया जाएगा.
- यह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक तथा भौगो. लिक महत्व का है जिसे संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है.
- 670 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ काजुवेली वेटलैंड पुलिकट झील के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैकीश वाटर लेक माना जाता है.
- पक्षी अभ्यारण की स्थापना के बाद इस आर्द्रभूमि का बेहतर संरक्षण हो सकेगा.
- यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य होगा.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 :-

- यह अधिनियम पर्यावरण और पारिस्थि. तिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है।.
- यह अधिनियम कई जानवरों की प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाता है.
- अधिनियम को अंतिम बार वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के द्वारा संरक्षित क्षेत्र :-

वन्यजीव अभयारण्य :-

- एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वन्य जीव को उसके प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के साथ रहने की अनुमति है.
- राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना से अभयारण्य घोषित किया जा सकता है। राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव द्वारा यहां के सीमा. ओं को भी परिवर्तित किया जा सकता है.

इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों को एक सीमा तक अनुमति प्राप्त है.

राष्ट्रीय उद्यान :-

- राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निधरित किए गए हैं.
- यह वन्य जीव अभ्यारण की तुलना में अधिक प्रतिबंधित क्षेत्र है.
- यहां किसी भी प्रकार की मानवीय गति. विधि की अनुमति नहीं होती.
- इसके नामकरण तथा सीमा परिवर्तन पर राज्य सरकार का अधिकार होता है.

"संशोधित वन्यजीव अधिनियम 2006, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों दोनों में वन उपज के किसी भी व्यावसायिक शोषण की अनुमति नहीं देता है, और स्थ. ानीय समुदायों को केवल उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वन उपज एकत्र करने की अनुमति है".

कंजर्वेशन रिजर्व :-

यह वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के निकट का क्षेत्र होता है जिसे स्थानीय समुदाय से परामर्श के बाद निर्धारित किया जाता है.

सामुदायिक रिजर्व :-

राज्य सरकार किसी भी निजी और सामुदायिक भूमि को स्थानीय समुदाय के परामर्श के उपरांत सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती हैं जहां स्वेक्षा से वन्यजीवों के संरक्षण का काम किया गया हो.

टाइगर रिजर्व :-

यह भारत में बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की अनुशंसा के उपरांत किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में घोषित किया जा सकता है.

3 अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ईको सेंसिटिव जोन घोषित

दो माह पूर्व ही अल्मोड़ा जिले में बिनसर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर से शून्य से तीन किलोमीटर के क्षेत्र को ईको सेंसिटव जोन घोषित किये जाने के बाद एक बार फिर भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है. दूसरे शब्दों में, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को अब ईको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है. विशेष बात यह है कि यह ईको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड का पहला ऐसा ईको सेंसिटिव जोन बनाया गया है जिसमें एक भी गांव शामिल नहीं है. यह अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य 600 मीटर से सात हजार मीटर की ऊंचाई तक फैला है. यह मुख्यत: काली नदी और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में स्थित है.

अस्कोट वन्य जीव विहार में पौधों की 2600 सौ प्रजातियां, पक्षियों की 250 प्रजाति, स्तनधारियों की 37 प्रजातिया हैं. वन्यजीवों में तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, कस्तूरी हिरण, हिमालयन थार, ब्लू भेड़, सेरोव हैं. इसके अलावा लूंगर, मोनाल, कलीज फिजेंट, चीर फिजेंट आदि हैं.

अस्कोट कस्तूरी मृग वन्य जीव अभयारण्य की सीमा 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है. अभयारण्य बनाने का मूल उद्देश्य क्षेत्र की वनस्पतियों और वन्यजीवों की वृहद जैव विविधता का संरक्षण करना था। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य का ईको सेंसिटिव जोन (पारिस्थितिकीयता संवेदी जोन) का विस्तार अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 22 किमी तक फैला है और ईको सेंसिटिव जोन का क्षेत्रफल 454. 65 वर्ग किलोमीटर है.

इसी वर्ष भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में स्थित कोरंगा वन्यजीव अभयारण्य के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा तीन के तहत इको सेंसेटिव जोन घोषित किया है। इस अभयारण्य का कुल विस्तार 235.70 वर्ग किलोमीटर है और इसमें पूरा होप आइलैंड भी शामिल है. यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि काकीनाडा शहर की भविष्य की विकास जरूरतों, काकीनाडा बंदरगाह की वर्तमान गतिविधियों, मत्स्यन गतिविधियों से कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के जीव जंतुओं को खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इन जीवों में खासकर फिशिंग कैट, इंडियन स्मूथ कोटेड ओटेर, ओलिव रिडले टर्टल और कई पक्षी प्रजातियां शामिल हैं.

इसके अलावा हाल ही में केरल के वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के 88.21 वर्ग किलो. मीटर क्षेत्र को भी इको सेंसेटिव जोन घोषित करने के लिए केरल राज्य सरकार ने भारत के पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष इसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया है.

राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास इको-सेंसिटिव जोन के लिये घो. षित दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है.

ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग और प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं जैसी गति. विधियों को प्रतिबंधित करते हैं. कुछ गति. विधियों जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृ. तिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है.

विज्ञान एवं तकनीक

1 भारत में 5G तकनीक का प्रयोग

परिचय

दूरसंचार विभाग द्वारा एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि अगले वर्ष तक दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में 5 जी सेवाएं आरम्भ की जाएंगी. ध्यातव्य हो कि इस वर्ष की शुरुआत में, दूरसंचार विभाग ने 5**G** बैंड सहित अगले 10 वर्षों में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की बिक्री और उपयोग पर टेलीकॉम कंपनियों और उद्योग के विशेषज्ञों से इनपुट मांगे थे. टेलीकॉम कंपनियों (5 जी की आपूर्ति करने वाली कम्पनियाँ) ने संकेत दिया है की इस बैंड का उपयोग उद्योगों और विशेष कारखाना इकाइयों द्वारा कैप्टिव नेटवर्क के निर्माण के लिए किया जा सकता है.

क्या है 5 जी

- 5 जी संचार क्रांति की पांचवीं पीढ़ी को सम्बोधित करता है तथा यह एलटीई (लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन) मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क में नवीनतम अपग्रेड है.
- 5 जी मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है (अर्थात् कम, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पे. क्ट्रम) इन सभी स्पेक्ट्रंस की अपनी-अपनी क्षमताएं तथा सीमाएं भी हैं. हाई-बैंड स्पेक्ट्रम सभी तीन बैंडों को उच्चतम गति प्रदान करता है, परन्तु इसमें कवरेज अत्यंत सीमित है. 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति को 20 Gbps (गीगा बाइट्स प्रति सेकंड) के रूप में उच्च होने का परीक्षण किया गया है.
- निम्न बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट और डेटा विनिमय की कवरेज अत्यंत अधिक है परन्तु इसमें अधिकतम गति 100 एमबीपीएस (मे. गाबिट्स प्रति सेकंड) तक सीमित है. मिड बैंड उच्च तथा निम्न बैंड के बीच की स्थिति को बताता है.
- आदर्श रूप में 5**G** नेटवर्क की गति डा. उनलोडिंग के लिये 20 गीगाबाइट प्रति सेक. ंड और अपलोडिंग के लिये 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड (**Gbps**) की अधिकतम डेटा दर होनी चाहिये. परन्तु व्यावहारिक रूप से यह 100 एमबीपीएस की डाउनलोडिंग स्पीड और 50 एमबीपीएस की अपलोडिंग स्पीड तक ही होगी. हालांकि यह गति बहुत अधिक है क्योंकि वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले 4-जी एलटीई का आदर्श डेटा रेट्स 300 एमबी. पीएस डाउनलोडिंग और 150 एमबीपीएस अपलोडिंग तक सीमित हैं.

5 जी तकनीक के लाभ निम्नवत हैं

- 5G बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी में सहायक होगा. यह त्वरित तथा अबाधित अल्ट्रा-लो लेटेंसी संचार प्रदान करेगा.
- यह औद्योगिक क्रांति 4.0 की सफलता हेतु सहायक होगा. इसकी नेटवर्किंग से आर्थिक लागत, विद्युत ऊर्जा तथा जटिलता में कमी आएगी.
- यह 'स्मार्ट शहरों' और 'स्मार्ट खेती', टेलीसर्जरी तथा ऑग्मेंट्स रियल्टी की सफलता में सहायक होगा. 5 जी तकनीक का प्रयोग इन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में तेजी भी लाएगा. यह आर्थिक लाभ के उद्देश्य में भी सहायक होगा. इससे तकनीक आ. धारित रोजगार जन्म लेगा.

5 जी तकनीक के हानि

5 जी तकनीकी के साथ कुछ चुनौतियाँ भी संलग्न हैं जिनका वर्णन निम्नवत है

- साइबर हमलो के कारण 5G सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताओं को जन्म देगा.
- 5जी में उपयोग की जा रही **Ka** बैंड आवृत्तियों का उपयोग सुदूर संवेदन उपग्रहों द्व रा भी किया जाता है. अत: यह इंटरफेरन्स 5जी के सिग्नल्स के कारण उपग्रह द्वारा भेजे जाने वाले डेटा की गुणवत्ता खराब कर सकता है.
- यह सर्वविदित है कि सेलफोन टावरों और सेलफोन के विकिरण से स्वास्थ्य सं. बंधी चिंताएं जुड़ी होती हैं. 5जी रेडिएशन से ये चिंताएं और अधिक बढ़ेंगी. कुछ शोध ों के अनुसार उच्च शक्ति वाले **ka** बैंड से मस्तिष्क कैंसर और बांझपन जैसे स्वास्थ्य प्रभावों हो सकते हैं.
- 5 जी के आने से 4 जी के उपकरण उपयोगहीन हो जायेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या बढ़ेगी.

निष्कर्ष

वैश्विक स्तर पर 5**G** का प्रयोग आरम्भ हो चुका है. सरकारों से ज्यादा, वैश्विक दूरसंचार कंपनियों ने 5**G** नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया है. चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के लिए 5 जी आवश्यक है अत: भारत भी इस दिशा में कदम उठा रहा है. अत: 5 जी के दुष्प्रभावों को कम करने तथा इसके एफिसिएंट उपयोग के लिए भारत को 5जी तकनीक के लिए अनुसंधान तथा विकास में भी भारी निवेश करना चाहिए.

आर्थिक

1 वैश्विक असमानता रिपोर्ट

सन्दर्भ :-
हाल ही में आई वैश्विक असमानता रिपोर्ट भारत में असमानता की प्रवृत्तियों पर चर्चा करती है.

मुख्य बिंदु :-
भारत के विषय में

- रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत एक गरीब तथा अत्यंत असमानता वाला देश है जहां अभिजात वर्ग प्रभावी है.
- भारत में मात्र 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 57% तथा मात्र 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय की 22% संपत्ति है.
- वहीं सबसे गरीब 50% लोगों के पास मात्र 13% संपत्ति है.
- रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत का मध्य वर्ग सापेक्षिक रुप से गरीब है तथा इसकी आय राष्ट्रीय आय का 29% है.
- औसत रूप से एक भारतीय की वार्षिक आय 204000 रूपए है वहीं भारत में सबसे गरीब 50% लोग मात्र 53610 रुपए वार्षिक आय में गुजारा करते हैं.
- हाल के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का चार में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब है.
- भारत में 1980 से 2020 में निजी आय में 200 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है.

वैश्विक प्रवृत्ति

- रिपोर्ट में यह बताया है कि विश्व के सबसे गरीब 50% जनसंख्या मात्र 8% वैश्विक आय को प्राप्त करती है. वहीं 10% अमीर व्यक्ति 52% वैश्विक आय को प्राप्त करते हैं.
- मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका विश्व के सर्वाधिक असमान क्षेत्रों में आता है. वहीं यूरोप में सर्वाधिक समानता व्याप्त है.
- यूरोप में शीर्ष के 10% अमीर राष्ट्रीय आय का 36% भाग प्राप्त करते हैं वही मध्य पूर्व तथा उत्तरी अमेरिका में यह 58%, पूर्वी एशिया में यह 43% तथा लैटिन अमेरिका में 55% है.
- वैश्विक आय 2020 में लगभग 510 ट्रिलियन यूरो की थी.
- भारत तथा चाइना जैसी अर्थव्यवस्था वैश्विक धनी देशों की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है.
- देशों के मध्य आर्थिक असमानता देशों के अंदर आंतरिक आर्थिक असमानता से कहीं अधिक व्यापक हैं. 2020 में विश्व के शीर्ष 10% धनी देशों के पास, विश्व के 50% सबसे गरीब देशों की तुलना में लगभग 38 गुना अधिक संपत्ति है.
- यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक आय तथा संपत्ति की असमानता, पर्यावरणीय असमानता तथा जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष है. विश्व के 10% शीर्ष उत्सर्जक समस्त उत्सर्जन का 50% भाग रखते हैं वहीं विश्व के अंतिम 50% उत्सर्जन करने वाले गरीब देश मात्र 12% उत्सर्जन करते हैं.

निष्कर्ष

वैश्विक असमानता लैब के दिशा निर्देशन में बनी यह रिपोर्ट यह बताती है कि वैश्विक आय के साथ-साथ भारतीय आय पर महामा. री का प्रभाव पड़ा है. परंतु महामारी के पहले भी असमानता व्यापक रूप से स्थापित थी. असमानता धीरे-धीरे वर्ग संघर्ष का कारण बनती है तथा लोकतंत्र में व्याप्त समानता के विपरीत है. अत: सरकार को इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है जिससे सभी लोगों को आर्थिक वृद्धि तथा विकास का समान अवसर प्राप्त हो सके.

NOTES

2 देश में बनेगा सेमीकंडक्टर

संदर्भ

लॉकडाउन की वजह से सामानों और उत्पादों की मांग में कमी आ गई. इसके कारण चिप्स का उत्पादन भी कम होने लगा. जैसे ही लॉकडाउन खुला तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग अचानक से बढ़ गई. अचानक से बढ़ी इस मांग की वजह से मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़ गया. इसका परिणाम यह हुआ कि बाजार में सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी आ गई. आगे ऐसी स्थिति से बचने के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हाल ही में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए 76000 करोड़ रुपए की योजना चलाई गई है.

क्या होता है सेमीकंडक्टर

सेमीकंडक्टर चिप्स सिलिकॉन से बने होते हैं और किसी भी विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी नियंत्रित करने के काम आते हैं. यह न ही विद्युत के पूरी तरह से कुचालक होते हैं और न ही पूरी तरीके से सुचालक. दूसरे शब्दों में कहें तो यह इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑटोमेटिक तौर पर चलाने में मदद करती हैं.

योजना के मुख्य बिंदु

- इस घोषणा के उपरांत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रदत कुल इंसेंटिव का मूल्य लगभग 2.3 लाख करोड़ हो जाएगा.
- ध्यातव्य हो कि पिछले कुछ समय से सरकार निरंतर सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉ. निक्स क्षेत्र में वृद्धि हेतु प्रयासरत है. वर्तमान समय में तकनीकी क्षेत्र, सूचना क्रांति तथा चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की सफलता के लिए देश में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तृत होना आवश्यक है. इस प्रकार सरकार द्वारा की गई सहायता अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी.
- इस योजना के अनुसार फेब्रिकेशन यूनि. ट्स को आरंभ करने में लगने वाली लागत का 50% राजकोष द्वारा वहन किया जाएगा.
- योजना में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उच्च तकनीक के 11 क्लस्टर्स तथा बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी.
- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ संवहनीय सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले के निर्माण के लिए (अनुकूल इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए) इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया जाएगा.
- सरकार ने इसके पहले ही सेमीकंडक्टर के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अथवा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आरंभ कर चुकी है.
- यह योजना वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी को बढ़ाने में सहायक होगी. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार वर्तमान समय में वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण में अमेरिका आधारित फर्मो का योगदान 47% है. वहीं साउथ कोरिया 20% जापान तथा यूरोपीय संघ 10% ताइवान 7% तथा चीन 5% सेमीकंडक्टर के वैश्विक व्यापार में भागीदार है.

सेमीकंडक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना

- भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हार्डवेयर विनिर्माता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी नहीं हो पा रहे थे. इस स्थिति हेतु बुनियादी संरचना में कमी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में कमी, लॉजिस्टिक में कमी, वित्त का अभाव , उच्च स्तरीय विद्युत सप्लाई का अभाव ,तथा सीमित रिसर्च एवं डेवलपमेंट उत्तरदायी थे.
- इस स्थिति से निदान पाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2019 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति लाई गई. जिसका उद्देश्य भारत को इले. क्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसडीएम के क्षेत्र में ग्लोबल हब बनाना था.
- इसी सन्दर्भ में सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना आरंभ की गई जो मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के निर्माण, असेंबलिंग, परीक्षण, मार्केटिंग तथा पैकेजिंग इत्यादि के क्षेत्र में उत्पादन के आधार पर कंपनियों को प्रोत्साहन देने से सम्बंधित था.
- आरंभ में इस योजना को महज 4 माह के लिए रखा गया था परंतु बाद में इस योजना को और बढ़ा दिया गया

NOTES

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है. हैदरपुर को रामसर साइट का दर्जा मिलने से अब भारत में 47 रामसर स्थल हो गए हैं. हैदरपुर एक मानव निर्मित आद्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था. यह आद्रभूमि
पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है. रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं.

रामसर कन्वेंशन:

रामसर कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि है, जिस पर 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1975 में लागू हुई थी. यह स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है.

2. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में संपन्न

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का सातवां संस्करण पणजी गोवा में संपन्न हुआ. इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों में नवाचार को बढ़ावा देना और जनता के लिए सस्ती तकनीक विकसित करने के साथ ही भारत में सतत विकास और नए तकनीकी नवाचारों के लिए लोगों के बीच वैज्ञानिक सोच फैलाना है. इस वर्ष महोत्सव की थीम "एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना" थी. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव छात्रों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट को ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती का एक संयुक्त कार्यक्रम है. जिसका पहला कार्यक्रम 2015 में आयोजित किया गया था.

3. स्वदेशी स्टैंड-ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने पोखरण रेंज से स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक मिसाइल अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव (एमएमडब्ल्यू) सीकर तकनीक से लैस है, जो मिसाइल को उच्च शुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है. यह मिसाइल 10 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है. डीआरडीओ तथा वायुसेना द्वारा किया गया यह उड़ान परीक्षण अपने सभी उद्देश्यों में सफल रहा. इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ ने अनुसंधान केंद्र इमारत, हैदराबाद के सहयोग से किया है

डीआरडीओ एक नजर में

डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा मंत्रालय के आधीन की गयी थी. यह भारतीय सशस्त्र बलों की रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रक्षा प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास करता है. वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं.

4. भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश

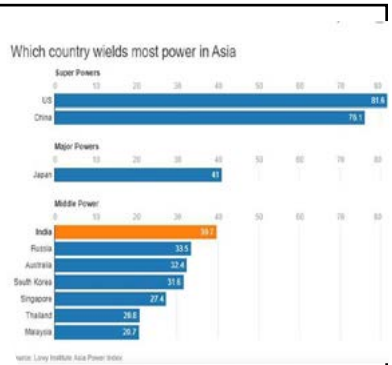

लोवी इंस्टीट्यूट ने एशियन पावर इंडेक्स 2021 जारी किया है. जिसके अनुसार, इंडो-पै. सिफिक के 26 देशों और क्षेत्रों में भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है. रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनयिक प्रभाव और आर्थिक संबंधों जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों में भारत स्थिति में गिरावट आई है. इस गिरावट के बावजूद भारत ने आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन और सांस्कृतिक प्रभाव जैसे संकेतकों के आधार पर अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है. इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान है. सूचकांक के 8 संकेतकों में से 6 में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर रहा. लोवी इंस्टीट्यूट का वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स 2018 में लॉन्च किया गया था. इस वर्ष सूचकांक में प्रथम 10 देश हैं : अमेरिका, चीन, जापान, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड.

5. इंडिया गेट पर मनाया गया 'स्वर्णिम विजय पर्व'

दिल्ली में इंडिया गेट पर 1971 के युद्ध और भारत-बांग्लादेश मित्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर दो दिवसीय 'स्वर्णिम विजय पर्व' मनाया गया. आयोजन का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह युद्ध दो विश्व युद्धों के बाद दुनिया के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक है. यह आयोजन 1971 युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर चलने वाले समारोह के एक भाग के रूप में मनाया गया. आयोजन में युद्ध के समय उपयोग किए गए हथियारों और उपकरणों के साथ प्रमुख लड़ाइयों को प्रदर्शित किया गया.

6. वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक (जीएचएस)

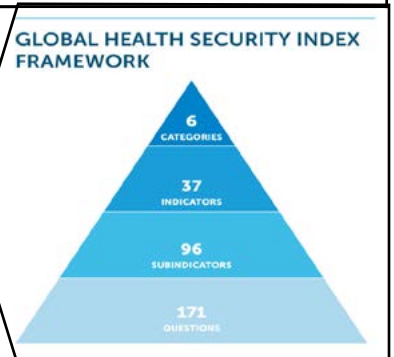

2021 का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी सूचकांक (जीएचएस) 8 दिसंबर को जारी किया गया. सूचकांक में भारत को 42.8 स्कोर प्राप्त हुआ है, जो 2019 की तुलना में .8 कम है. वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने अपने स्कोर में 1-1.2 अंकों का सुधार किया है. सूचकांक में वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि विश्व का समग्र प्रदर्शन गिरकर 38.9 हो गया है, जो 2019 में 40.2 था. इस सूचकांक का विकास न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (एनटीआई) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा किया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 65% देशों ने महामारी से होने वाली बीमारियों के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को कार्यान्वित नहीं किया. यह सूचकांक अगस्त 2020 और जून 2021 के बीच के अद्यतन डेटा संग्रह पर आधारित है.

7. दुर्गा पूजा, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल

कोलकाता में आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया है. 2003 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति ने पेरिस के अपने 16 वें सत्र के दौरान श्कोलकाता की दुर्गा पूजाश को इस सूची में शामिल करने का फैसला लिया है. समिति ने दुर्गा पूजा की उस पहल की प्रशंसा की है, जिसमें पिछड़े समूहों, व्यक्तियों के साथ-साथ महिलाओं को भागीदारी और सुरक्षा मिलती है. कोलकाता की दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद, भारत के अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता के आईसीएच की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गए हैं. ये 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत निम्न हैं: (1) वैदिक जप की परंपरा (3) रामलीला (3) कुटियाट्टम (4) राममन (5) मुदियेट्टू (6) कालबेलिया लोक गीत और राजस्थान के नृत्य (7) छऊ नृत्य (8) लद्दाख का बौद्ध जप (9) मणिपुर का संकीर्तन, पारंपरिक गायन, नगाड़े और नृत्य (10) पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन (11) योग (12) नवरोज (13) कुंभ मेला (14) दुर्गा पूजा, कोलकाता. बता दें कि भारत 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका उद्देश्य परंपराओं और सजीव अभिव्यक्ति के साथ-साथ अमूर्त विरासत की रक्षा करना है.

8. नासा के अंतरिक्ष यान ने 'सूर्य को छुआ'

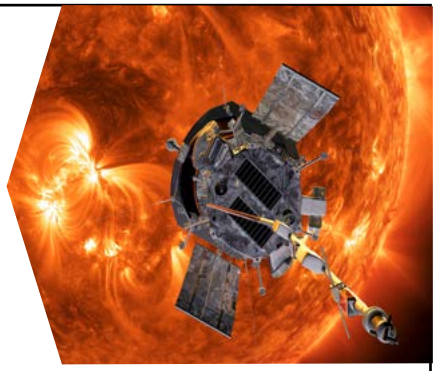

हाल ही में नासा का पार्कर सोलर प्रोब, सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा है. ऐसी उपलब्धि हांसिल करने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान बन गया है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि, अंतरिक्ष यान ने सूर्य के ऊपरी वायुमंडल 'कोरोना' के मध्य से उड़ान भरी और वहां चुंबकीय क्षेत्र और कणों के नमूने लिए. बता दें कि पार्कर प्रोब अंतरिक्ष यान को वर्ष 2018 में सूर्य के करीब से गुजरने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था. इस अन्तरिक्ष यान की खूबी यह है कि सूर्य की गर्मी से बचने के लिए यह तेजी से सूर्य कि कक्षा प्रवेश करता है और जल्दी ही बाहर निकलता है. इसके लिए इस यान की चाल 5,00,000 किमी प्रति घंटे से अधिक राखी गयी है.

9. सुनील गावस्कर एसजेएफआई मेडल से सम्मानित

स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजेएफआई) क्रिकेटर सुनील गावस्कर को एसजेएफआई मेडल से सम्मानित करेगा. वहीं नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू को क्रमश: एसजेएफआई स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है. टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है. पैरा-एथलीट ऑफ द ईयर के पुरुष वर्ग का सम्मान सुमित अंतिल और प्रमोद भगत को दिया जायेगा जबकि अवनि लेखरा को वुमेन पैरा-एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा.

10. विशाखापत्तनम में स्थापित होगी विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना

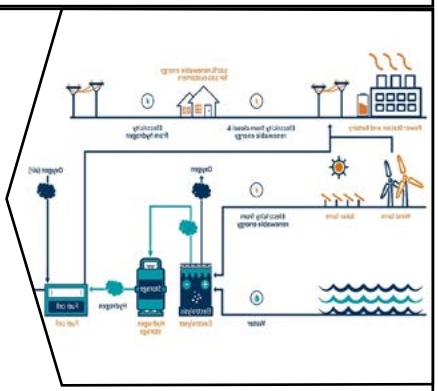

भारत जल्द ही सिम्हाद्री, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइ. ड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करेगा. यह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा स्थापित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परि. योजना होगी. इस परियोजना को स्थापित करने का उद्देश्य 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने और लद्दाख को कार्बन-न्यूट्रल क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण से प्रेरित है. परियोजना में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आध ारित मिक्रोग्रिड परियोजना कि शुरुआत की गयी है. आगे परियोजना का उपयोग विभिन्न ऑफ-ग्रिड और महत्वपूर्ण स्थानों में कई माइक्रोग्रिड को स्थापित करने में किया जायेगा. परियोजना के लिए शुरुवाती पॉवर इनपुट तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट से लिया जायेगा.

11. बिहार के मिथिला मखाना को मिला जीआई टैग

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री (जीआईआर) ने बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है. मंत्रालय ने इसके मूल को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए ब्रांड लोगो में और संशोधनों का भी सुझाव दिया.

क्या है भौगोलिक संकेतक और इसका महत्व

भौगोलिक संकेतक (जीआई) एक निश्चित उत्पाद को दिया गया एक संकेत या नाम है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति या किसी शहर, क्षेत्र या देश की उत्पत्ति से संबंधित है। जीआई टैग को एक प्रमाणीकरण के रूप में माना जाता है कि उस विशेष उत्पाद का उत्पादन पारंपरिक तरीकों के अनुसार किया जाता है तथा इसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं या इसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण इसकी एक विशेष प्रतिष्ठा होती है.

हाल ही में दिये गए जीआई टैग

हरमल मिर्च-गोवा, उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट-उत्तराखंड, मुनस्यारी राजमा-उत्तराखंड, उत्तराखंड ऐपण-उत्तराखंड, कुमाऊं च्युरा ऑयल-उत्त. राखंड, भोटिया दन-उत्तराखंड, नागा ककड़ी-नागालैंड, दल्ले खुरसानी-पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मिजो जिंजर-मिजोरम

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- देश का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सम्पन्न.
- अमेरिका की कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. वह हेनरीटा फोर का स्थान लेंगी.
- अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स खिताब 'मैक्स वर्स्टापेन' ने जीता.
- भारत की हरनाज संधू ने जीता मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब.
- दुबई '100% पेपरलेस' होने वाली दुनिया की पहली सरकार है.
- भारत ने एशियाई रोइंग चौंपियनशिप में 6 पदक (2 स्वर्ण और 4 रजत) जीते.
- भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है.
- ओडिशा सरकार ने 'मिशन शक्ति लिविंग लैब' परियोजना शुरू की.
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिलेगा 'ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो' पुरस्कार. यह भूटान द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है.
- हरियाणा ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए "खेल नर्सरी" योजना शुरू की है.
- तमिलनाडु ने 'तमिल थाई वज्थु' गीत को राज्य गीत दर्जा दिया है.
- कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) की मदद से असम के मंगलदोई में की जाएगी.
- पन्ना टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश) में पहली बार भारतीय रेगिस्तानी बिल्ली देखी गई.
- पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिए जाने वाला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवॉर्ड 2021 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को दिया गया है. बता दें कि सेल लगातार तीन वर्षों से इस अवॉर्ड को प्राप्त कर रहा है.
- मोहित जैन 'इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी' के अध्यक्ष चुने गए.
- विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की रिपोर्ट के अनुसार रूस और इटली के बाद भारत दुनिया का शीर्ष डोप उल्लंघनकर्ता है.
- हैदराबाद में भारत का पहला "इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिकेशन सेंटर" का उद्घाटन किया गया है.
- रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल 'प्रलय' का सफल परीक्षण, डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप' (ओडिशा) के तट से किया गया.
- अतुल दिनकर राणे 'ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड' के नए प्रमुख बनाये गए.
- 'जगन्नाथ रथ यात्रा' को पंजाब सरकार ने 'राज्य उत्सव' का दर्जा दिया है.

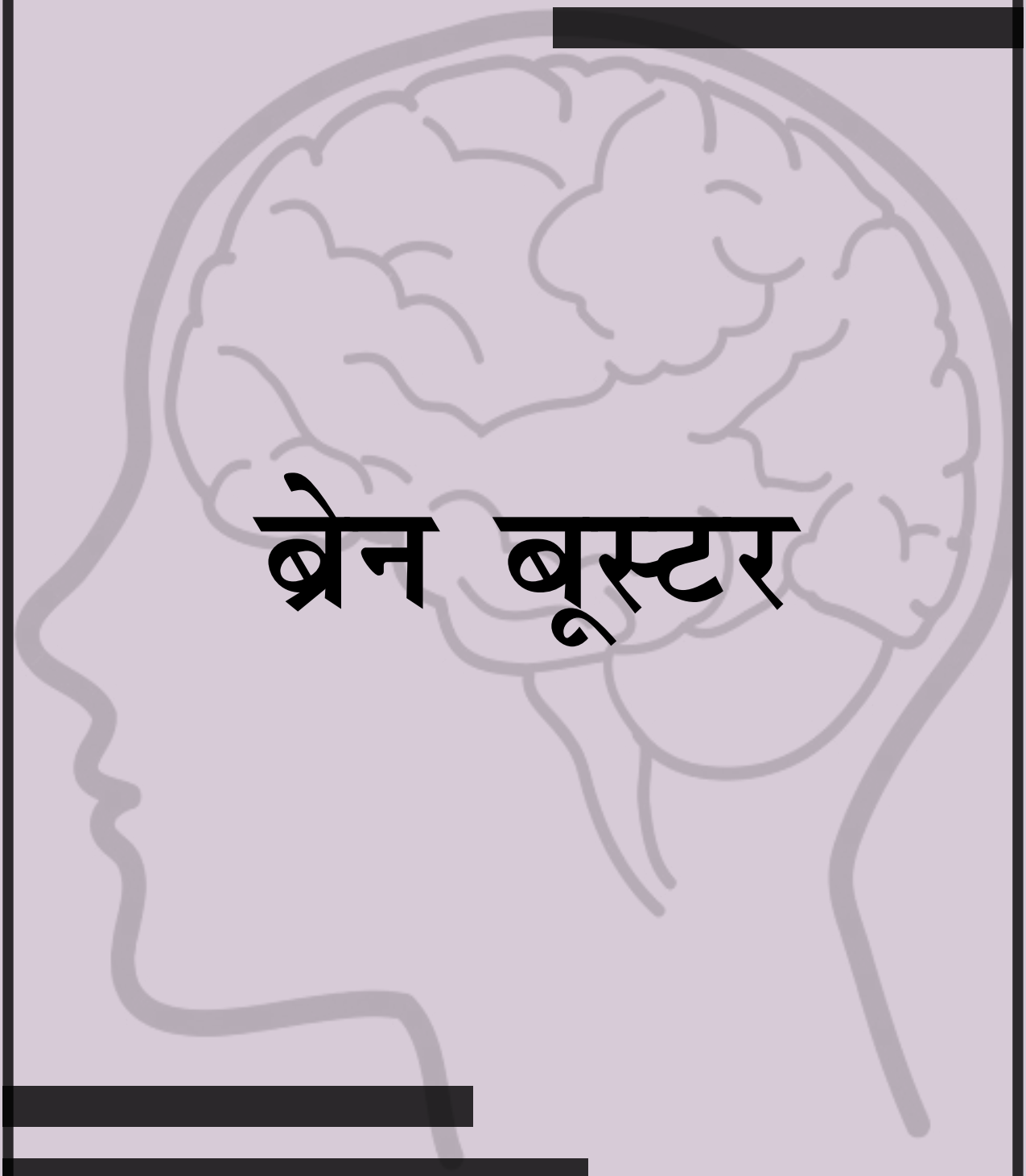

ब्रेन बूस्टर

भारतीय मिसाइल प्रणालियां

1. खबरों में क्यों

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी. आरडीओ) द्वारा आयोजित एक सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया.

2. भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का इतिहास

- हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर ने 18वीं शताब्दी के मध्य में सेना में लोहे के आवरण वाले रॉकेटों का उपयोग करना शुरू कियाथा.
- टीपू सुल्तान के समय, उनकी सेना के प्रत्येक ब्रिगेड से रॉकेटियर्स की एक कंपनी जुड़ी हुई थी.

3- भारत की स्वदेशी मिसा. इल क्षमताएं

- भारत ने 1958 में विशेष हथियार विक. ास दल बनाया, जिसे बाद में विस्तारित कर रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) नाम दिया गया.
- 1972 में, मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के विकास के लिए 'प्रोजेक्ट डेविल' शुरू किया गया था. इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचे और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की गई.
- प्रोजेक्ट डेविल के लिए प्रणालियों के विकास ने भविष्य के आईजीएमडीपी कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी आधार का गठन किया. 1982 तक, **DRDL** एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IG-MDP) के तहत कई मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा था.

b) कम दूरी की निम्न-स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
c) मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल
d) तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल

- पिनाका एमबीआरएस में एक फ्री-फ्ला. इट आर्टिलरी रॉकेट शामिल है जिसकी अधिकतम सीमा 38 किमी है. पिनाका-2 रॉकेट प्रणाली की सीमा 60 किमी है.

4. भारत की मिसाइलों के प्रकार

भारत स्वदेशी रूप से मिसाइलों को डिजाइन और विकसित करने वाले चुनिंदा देशों में एक है

सरफेस-लॉन्च सिस्टम:

- टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल

a) नाग: नाग को पहले ही सेवाओं में शा. मिल किया जा चुका है. यह सभी मौसम की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एकमात्र "फायर-एंड-फॉरगेट एटीजीएम" है. इसकी रेंज लगभग 20 किमी है.

b) हेलीना **(HeliNa)** : हेलीकॉप्टर आध रित नाग के इस वर्जन को 2022 तक शामिल कर लिया जाएगा

- सतह से हवा में मार करने वाली मिसा. इल (SAM)

I. आकाश को पहले ही थल सेना और वायुसेना में शामिल किया जा चुका है.

II. आकाश एनजी (नई पीढ़ी) विकास के चरण में है

एयर-लॉन्च सिस्टम

- हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल

a) अस्त्र :- यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) है. यह भारतीय वायु सेना में शामिल की जा रही है. इसकी सीमा लगभग 100 किमी है. गति बढ़ाने के लिए ठोस ईंधन और रैमजेट प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है. इसमें स्वदेश निर्मित साधक है.

- हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल

b) रुद्रम एक नई पीढ़ी की एंटी-रेडिएशन मिसाइल (NGRAM) है, जिसने शुरुआती परीक्षणों को पास कर लिया है. अधिकतम सीमा 200 किमी है. मिसाइल मुख्य रूप से विरोधी के संचार, रडार और निगरानी प्रणाली को लक्षित करती है.

c) ब्रह्मोस को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है. तीनो सेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही है और इसकी सीमा 290 किमी है. मिसाइल को जहा. जों, पनडुब्बियों, विमानों और वाहनों पर स्थापित किया जा सकता है. यह कम दूरी की, रैमजेट से चलने वाली, सिंगल वारहेड, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है.

5. भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियां

- अग्नि और पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइले हैं. इनका उपयोग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा किया जाता है.
- अग्नि -5 (रेंज 5,000 किमी), अंत. र-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसी. बीएम) के लिए भारत का एकमात्र दावेदार है.
- पृथ्वी एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 350 किमी है, यह एक रणनीतिक मिसाइल है.
- भारत ने अप्रैल 2019 में एक एंटी-सैटेलाइट सिस्टम ASAT का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है.

6. हाइपरसोनिक तकनीक

- DRDO ने सितंबर 2020 में एक हा. इपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, और अपनी हाइपरसोनिक एयर-ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का प्रदर्शन किया.
- भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है और 23 सेकंड इंजन ने सफलता पूर्वक कार्य किया है. भारत एचएसटीडीवी का उपयोग करके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की कोशिश करेगा.

7. मिसाइल प्रौद्योगिकी में भारत की उन्नति के कारण

- आईजीएमपी के तहत डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में भारत ने निम्न पर काम किया.

a) कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल

बीएसएफ के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी

1. खबरों में क्यों?

11अक्टूबर 2021 को, गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, पाकिस्. तान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से सम्बंधित राज्यों में बीएसएफ की शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में बदलाव किए हैं.

2. अधिसूचना

बीएसएफ के नए अधिकार क्षेत्र में अब "मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का पूरा क्षेत्र और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के अन्दर का क्षेत्र शामिल है.

3. क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण

- राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं ने गृह मंत्र. ालय को यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया है.
- तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने से अफगान-पाक क्षेत्र में भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला है, जिसके परिण ामस्वरूप भविष्य में भारत में सीमा पार आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है.
- जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों में वृद्धि के साथ-साथ पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा हथियार गिराए जाने की घटनाओं में वृद्धि ने चिंता बढ़ाई है.
- बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवास, मवेशियों और नशीले पदार्थों और नकली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) की तस्करी भी चिंता का विषय है.

4. बीएसएफ का मत

बीएसएफ ने कहा कि यह संशोधन, सीमा सुरक्षा बल को सीमा पार अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद करेगा और नया संशोधन पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और असम के सीमावर्ती राज्यों में इसके संचालन के लिए 'एकरूपता' लाने में सहायक होगा.

5. बीएसएफ की शक्तियों में परिवर्तन

- इसका अधिकार क्षेत्र केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और पासपोर्ट अधि नियम, 1967 के तहत प्राप्त शक्तियों के संबंध में विस्तारित किया गया है. बीएसएफ के पास वर्तमान में इन कानूनों के तहत गिरफ्तारी और तलाशी लेने की शक्तियां हैं.
- एनडीपीएस अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और कुछ अन्य कानूनों के तहत गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और जब्त करने का भी अधिकार है. इन कानूनों के तहत इसका अधिकार क्षेत्र नहीं बदला गया है, यानी इनके तहत इसकी शक्तियां पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल में सीमा के अंदर केवल 15 किमी तक ही रह. ेंगी, और गुजरात में 80 किमी तक ही रहेंगी.

6. बीएसएफ को ये शक्तियां क्यों और कब मिली

- 1969 में, बीएसएफ को पहली बार विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी मुद्रा कानून और सीमा शुल्क अधि नियम जैसे कुछ कानूनों के संबंध में सीआ. रपीसी के तहत गिरफ्तार करने और तलाशी लेने का अधिकार मिला.
- उस समय, सीमावर्ती इलाकों में बहुत कम आबादी थी और मीलों तक शायद ही कोई पुलिस स्टेशन था. सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि बीएसएफ को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाए.

7. परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया

- असम सरकार ने निर्णय का स्वागत किया है और विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य पुलिस के साथ समन्वय में, सीमा पार तस्करी और अवैध प्रवास पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
- पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इसे "संघवाद पर सीधा हमला" और "राज्य के अधिकारों का उल्लंघन" करार दिया है.

8. लागू करने की प्रक्रिया

अब तक, राज्य पुलिस और सीमा बल कुछ मतभेदों के साथ मिलकर काम कर रहे थे. लेकिन अब, इस मुद्दे का राजनीतिकरण होने से, भविष्य में समन्वय में कठिनाइयाँ आने पर कार्यान्वयन मुश्किल हो सकता है.

- जिला और राज्य समन्वय समितियों जैसी संरचनाएं भी स्थापित करनी चाहिए और सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हासिल करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए.

9. भविष्य के विकल्प

- स्थानीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और भा. षाओं पर कर्मियों को संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि बीएसएफ सीमावर्ती निवा. सियों के साथ संवाद स्थापित कर सीम. ावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने में उनका समर्थन हासिल कर सके.
- केंद्र सरकार को अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए.

पर्यावरण बनाम रक्षा

1. खबरों में क्यों

- 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तीन हिमालयी राजमार्गों को चौड़ा करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है. ये राजमार्ग हैं

I. ऋषिकेश से माणा
II. ऋषिकेश से गंगोत्री
III. टनकपुर से पिथौरागढ़

- ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की चार धाम परियोजना का हिस्सा हैं.

2. चार धाम परियोजना के बारे में

12,000 करोड़ की परियोजना की घोषणा 23 दिसंबर 2016 को की गई थी.

- इसका उद्देश्य सुरक्षित, सुगम और तेज यातायात आवागमन के लिए लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों को चौड़ा करना है.
- ये उत्तराखंड में पवित्र मंदिरों को जोड़ते हैं:

I. यमुनोत्री
II. गंगोत्री
III. केदारनाथ
IV. बद्रीनाथ

- इस परियोजना में कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का टनकपुर पिथौरागढ़ खंड भी शामिल है.

3. विवाद

- पर्यावरणविद् समूहों ने 27 फरवरी, 2018 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में एक आवेदन दायर किया.
- परियोजना के निर्माण को इस आधार पर चुनौती दी गई कि विकास गतिविधियों का हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
- इस परियोजना से वनों की कटा. ई, पहाडो की खुदाई और कीचड़ की डं. पिंग होगी, जिससे भूस्खलन और मृदा अपरदन जैसी समस्या उत्पन्न होगी.
- 26 सितंबर, 2018 को एनजीटी ने आदेश दिया कि इनमें से प्रत्येक परियोजना की लंबाई 100 किमी से कम है इसलिए उन्हें पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, एनजीटी ने पर्यावरण सुरक्षा उपायों के लिए एक 'निगरानी समिति' के गठन का निर्देश दिया है.
- आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

4. सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद

- सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दों की जांच के लिए पर्यावरणविद् रवि चोपड़ा के तहत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया.
- जुलाई 2020 में, पहाड़ी सड़कों के लिए आदर्श चौड़ाई पर सदस्यों के असहमत होने के बाद एचपीसी ने दो रिपोर्ट प्रस्तुत की.
- सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने पर्वतीय राजमार्गों के लिए MoRTH द्वारा जारी मार्च 2018 के दिशानिर्देश के आधार पर, चोपड़ा सहित 4 एचपीसी सदस्यों की कैरिजवे की चौड़ाई को 5.5 मीटर (1.5 मीटर ऊंचे फुटपाथ के साथ) तक सीमित करने की सिफारिश को बरकरार रखा.
- 21 एचपीसी सदस्यों की बहुमत रिपोर्ट ने पेव्ड शोल्डर मानकों (डीएलपीएस) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग डबल-लेन के बाद परियोजना में परिकल्पित 12 मीटर की चौड़ाई का समर्थन किया.

5. प्रत्युत्तर में दिए गए तर्क

- उन्होंने तर्क दिया कि एचपीसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सरकार द्वारा अपर्याप्त सहायता दी गई थी.
- ढलान सही करना, मलवा निस्तारण, क्षतिग्. स्त ढलानों के जीर्णोद्धार और पहाड़ी काटने की गतिविधियों से संबंधित चिंताओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
- MoRTH ने अपने 2018 के सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2020 के निर्देश का उल्लंघन किया.
- यदि डीएलपीएस मानक को अपनाया गया तो हिमालय का संवेदनशील वातावरण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा.

6. रक्षा जरूरते

- रक्षा मंत्रालय ने नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की, जिसमें "सेना के आवश्यकता को पूरा करने के लिए" 8-10 मीटर की चौड़ाई के साथ "7 मीटर की कैरिजवे चौड़ाई वाली डबल-लेन सड़क" की मांग की गई".
- इस परियोजना की मुख्य रूप से चार धाम यात्राओं (तीर्थयात्रा) को सुवि. धाजनक बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कल्पना की गई थी, परन्तु यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण था क्योंकि रा. जमार्ग चीन सीमा के करीब के क्षेत्रों में सैनिकों की आवाजाही को सुगम बनाएगी.

7. सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- MoRTH और MoD को, सुप्रीम कोट की शर्तों पर के तहत मंजूरी प्राप्त है जो एचपीसी सिफारिशों पर निर्भर करेगा.
- एक निरीक्षण समिति कार्यान्वयन का आकलन करेगी, जिसका गठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है.
- सरकार दो सप्ताह के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार औपचा. रिक अधिसूचना जारी करेगी.
- MoRTH और **MoD** शेष सुझावों के अनुपालन के लिए एक अनुमानित समय-सीमा के साथ-साथ सिफारिशों का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों को समिति के समक्ष रखेंगे.

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

1. पृष्ठभूमि

प्रस्तावना लिखने वाला अमेरिकी संविधान सर्वप्रथम था. भारतीय संविधान की प्रस्ता. वना 'उद्देश्य संकल्प' पर आधारित है, जिसे जवाहर लाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया तथा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था.

2. प्रस्तावना

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लो. कतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सु. निश्चित करने वाली, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर, 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि नियमित और आत्मार्पित करते हैं.

3. प्रस्तावना के तत्व

- अधिकार का स्रोत: प्रस्तावना में वर्णित है कि संविधान भारत के लोगों से अपनी शक्ति प्राप्त करता है.
- भारत की प्रकृति: प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लो. कतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करता है.
- उद्देश्य: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है.
- संविधान को अपनाने की तिथि: 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अप. नाया गया.

4. प्रस्तावना के निर्माण खंड.

- संप्रभु :- बाह्य नियंत्रण से मुक्त
- समाजवादी :- सभी का कल्याण अर्थात सम्पदा का सभी में समान वितरण
- धर्मनिरपेक्ष :- राज्य का कोई धर्म नहीं होगा. अर्थात सभी धर्मों को एक साथ प्रोत्सा. हित करेगा
- लोकतांत्रिक :- सरकार जनता की प्रति. निधि होती है
- गणतंत्र :- राज्य के मुखिया चुने जाते हैं
- न्याय :- निष्पक्षता
- स्वतंत्रता :- आजादी
- समता :- कोई भेदभाव नहीं
- बंधुत्व :- भाईचारा

5. संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है.
- हरिहर यादव बनाम झारखंड राज्य, 2014 में एससी ने कहा कि संविधान सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य पर एक जिम्मेदारी डालता है. प्रस्तावना वह रोशनी है जो एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए राष्ट्र का पथ प्रदर्शन करती है.
- महत्वपूर्ण लेख

I- प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर रोक.

II- यह गैर-न्यायसंगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होते हैं.

6. मूल ढ़ाचे के रूप में प्रस्तावना

- केशवानंद भारती केस :- 1973 और एक्सेल वियर केस, 1979 में एससी ने कहा कि प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्यों में संविधान का मूल ढ़ाचा शामिल है.
- मूल संरचना में शामिल हैं

I. संविधान की सर्वोच्चता
II. सरकार का गणतंत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप
III. संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र
IV. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपा. लिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण
V. संविधान का संघीय चरित्र

7. प्रस्तावना की व्याख्या

केशवानंद भारती केस, 1973; चंद्र भवन बो. र्डिंग केस, 1973 के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग निम्न के दायरे को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है

I. मौलिक अधिकार
II-. राज्य के नीति निर्देशक तत्व

8. सामाजिक न्याय

- भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए किए गए वादे को ध्यान में रखते हुए, जो नीतियां अपने सबसे कमजोर रूप में भी जनता को दु:ख दे, उनको नजरंदाज नहीं किया जा सकता. (नंदिनी सुंदर केस, 2011).

9. प्रस्तावना में संशोधन

- केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परन्तु 'बुनियादी विशेषताओं' में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

10. प्रस्तावना में संशोधन

प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधि नियम, 1976 द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है. प्रस्तावना में तीन नए शब्द समा. जवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए.

जैविक खेती आपदा

1. खबरों में क्यों?

भारतीय वायु सेना ने गुरुवार को श्रीलंका में 100,000 किलोग्राम नैनो नाइट्रोजन उर्वरक भेजने के लिए दो सैन्य विमान तैनात किए. श्रीलंका सरकार के अनुरोध के बाद नई दिल्ली से उर्वरक की खेप भेजी थी.

2. उद्घोषणा

6 मई को, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला एक राजपत्र जारी किया जिसे व्यापक रूप से अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए जैविक खेती के एक बड़े पैमाने पर अपनाने के रूप में देखा गया था.

3. जैविक खेती के लाभ

- कीटनाशकों और रसायनों के पर्यावरणीय जोखिम को हतोत्साहित करता है
- मिट्टी की गुणवत्ता बनाये रखता है
- मिट्टी के कटाव को रोकता है
- ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावो को कम करता है
- जल संरक्षण और जल को स्वच्छ बनाये रखता है
- शैवाल को हतोत्साहित करता है
- पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाये रखता है
- जैव विविधता को प्रोत्साहित करता है

4. अकार्बनिक उर्वरकों के लाभ

- तुरंत प्रभावी होतें हैं.
- सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनका उपयोग तुरंत किया जा सकता हैं.
- सस्ती
- इस्तेमाल करने में आसान

5. श्री लंका सरकार द्वारा जैविक खेती की अभी कोई योजना नहीं

ऐसे समय में जब कृषि सहित सभी क्षेत्र महामारी से उत्पन्न आर्थिक प्रभाव से जूझ रहे थे, प्रशासन की यह घोषणा (हाल के दशकों में इस क्षेत्र में कृषि नीति में सबसे अधिक परिणामी परिवर्तन) बिना किसी स्पष्ट योजना, परामर्श, पूर्वविचार या ठोस संक्रमण के आया।

6. राष्ट्रपति की टिप्पणी

- COP 26 में, ग्लासगो के राष्ट्रपति गोटाबाया ने इस पहल का बचाव किया था और कहा था, "हमें एक नई कृषि क्रांति की आवश्यकता है जो प्रकृति के विरुद्ध न हो,"
- 'केवल जैविक' नीति के लिए "आलोचना और प्रतिरोध" को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा: "रासायनिक उर्वरक लॉबी समूहों के अलावा, यह प्रतिरोध उन किसानों से आया है जो पैदावार बढ़ाने के आसान साधन के रूप में उर्वरक का अधिक उपयोग करने के आदी हो गए हैं।"

7. वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण

श्रीलंकाई वैज्ञानिकों ने इस पहल को गलत माना है और इसे बनाने में "तबाही" करार दिया है

8. किसानों की समस्या

- सितंबर में बुवाई शुरू होने पर कोई रासायनिक उर्वरक नहीं थे
- जैविक खाद ही खरीदने का दबाव था
- जैविक खाद की गुणवत्ता को लेकर अनिश्चितता थी
- जैविक खाद की कम उपलब्धता थी
- किसानों को अपने खेता. में खेती करने के बजाय सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा

9. संकट में फसल

- सरकार के प्रतिबंध के कारण श्रीलंका की शीर्ष प्रधान फसलें संकट में आ गयी हैं
- इसने दशकों से हासिल की गई देश की खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है
- किसान जनवरी और फरवरी में अपनी अगली धान की फसल से डर रहे हैं, सबसे ज्यादा डर है कि उनकी उपज 50% गिर जाएगी
- श्रीलंका के 1.3 बिलियन डॉलर के चाय उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा का स्रोत है

10. श्रीलंकाई सरकार द्वारा की गई चूक

- श्रीलंका देश में आवश्यक सभी जैविक उर्व. रकों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं था, इसके बजाय विदेशी भंडार को कम करने के लिए कृषि रसायनों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद वह भारत और चीन से जैविक आदानों का आयात कर रहा था.
- चीनी कंपनी के दूषित उर्वरक की खेप के लिए श्रीलंका सरकार ने चीनी कंपनी को 67 लाख डॉलर देने पर सहमति जताई थी.

11. भ्रमित करने वाले संदेश

- बिना किसी पूर्व घोषणा के अका. बंनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई
- नवंबर के अंत में सरकार के अचानक निर्णय में निजी क्षेत्र को रासायनिक उर्वरक आयात करने की अनुमति दी
- सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध और बाद में नीति में बदलाव के कारण निजी क्षेत्रों को अनुमति देने से किसानों के मन में संदेह पैदा होगा.

12. भविष्य के विकल्प

- रसायन उर्वरकों से जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए
- जैविक खेती से होने वाले फायदों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए
- जैविक उत्पादों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया जाना चाहिए
- जैविक खेती और जैविक उत्पादों के उपभोग से किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए

भूल जाने का अधिकार

1. खबरों में क्यों

भूल जाने के अधिकार (आरटीबीएफ) का प्रयोग करने की मांग को लेकर एक याचिक. ाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गयी है.

2. भूल जाने के अधिकार के बारे में

- जब विशिष्ट व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता नहीं रह जाती तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से हटाने का अधिकार ही भूल जाने का अधिकार है.
- गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय के 2014 के फैसले के बाद भूल जाने का अधिकार प्रकाश में आया .
- भूल जाने का अधिकार को मिटाने के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है.

3. आरटीबीएफ लागू करने वाले देश

- जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडी. पीआर) को EU द्वारा 2018 में अपनाया गया था
- जीडीपीआर का अनुच्छेद 17 व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का अधिकार प्रदान करता है जो कि

I- अब आवश्यक नहीं माना जाता है
II- सहमति वापस ले ली गई है
III- जिसके प्रसंस्करण पर आपत्ति की गई है
IV- व्यक्तिगत डेटा अवैध रूप से प्रसारित
V- जहां मिटाने के लिए कानूनी दायित्व है

- जीडीपीआर की सीमाऐ

I. सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक हित के कारण
II. संग्रह उद्देश्यों के लिए ष्सार्वजनिक हित में, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अनुसंधान उद्देश्यों में या सांख्यिकीय उद्देश्यों में
III. कानूनी दावों की स्थापना, अभ्यास या बचाव के लिए
IV. अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करना
V. कानूनी बचाव की स्थापना के लिए या अन्य कानूनी दावों के अभ्यास में
VI. एक कानूनी निर्णय या दायित्व का पालन करने के लिए

4. भारत में स्थिति

- आरटीबीएफ के पास अभी तक विधायी मंजूरी नहीं है। हालांकि, पुट्टस्वामी फैसले 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है.
- वर्तमान में, कई उच्च न्यायालयों ने इस अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र को ध्यान में रखते हुए, अपने निर्णयों में भूल जाने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दी है.
- बीएन श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों ने भी इस अधिकार पर जोर दिया। इस प्रकार, इसे ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 के तहत शामिल किया गया था.

5. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव

- देशों के बीच व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में नियमों का अंतर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर वास्तविक प्रभाव डालता है.
- डेटा एक नयी उर्जा है, इसलिए सीमा पार डेटा प्रवाह के सन्दर्भ में इसे अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता है.

6. ऐसे अधिकार की जरूरत

- पिछली पोस्ट या अपलोड से अपमान. जनक, शर्मनाक और कलंकित करने वाली जानकारी को हटाने की क्षमता
- "रिवेंज पोर्न" सहित किसी तीसरे पक्ष द्वारा अवैध रूप से अपलोड की गई सामग्री को हटाना
- व्यक्तिगत या वित्तीय सुरक्षा से समझौता करने वाली जानकारी को हटाना

7. ऐसे अधिकारों के साथ चुनौतियां

- व्यक्ति के निजता के अधिकार और जनता के सूचना के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की जरूरत है.
- यह स्वतंत्र रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया कर्मियों के अधिकार को क्षीण कर सकता है. न्यायिक अधिकारी उन मीडिया समूहों के लेखों को हटा सकता है जो आम तौर पर सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं.
- न्याय की निष्पक्षता का पता लगाने के लिए पूर्ण निर्णयों को हटाने से न्यायिक प्रदर्शन की सार्वजनिक जांच प्रतिबंधित हो सकती है. कोर्ट के निर्णय कानून के छात्रों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं.
- निष्कासन कभी-कभी एक स्ट्रीसैंड प्रभाव पैदा करता है. यह एक सामाजिक घटना है जो तब होती है जब जानकारी को छिप. ाने, हटाने या सेंसर करने का प्रयास उस जानकारी को और अधिक प्रचारित करने का अनपेक्षित परिणाम होता है.

8. आगे का राह

- आरटीबीएफ के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंध के लिए गोपनीयता को आधार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए.
- आसन्न डेटा संरक्षण विधेयक को शीघ्रता से पारित किया जाना चाहिए। यह व्यक्तियों को अपने अनावश्यक और अनुपयुक्त व्यक्तिगत डेटा को मिटाने का कानूनी अधिकार देगा.
- अप्रासंगिकता, अशुद्धि और कानून का उल्लंघन रूस में खोज इंजन से व्यक्तिगत जानकारी के लिंक को हटाने के लिए आध ार बनाता है.
- तुर्की और साइबेरिया कुछ हद तक भुलाए जाने के अधिकार को मान्यता देते हैं.

1. खबरों में क्यों

चौथी स्कॉर्पीन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बी, INS वेला, को 25 नवंबर, 2021 को तत्क. ालीन नौसेनाध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया.

2. भारत की पनडुब्बी क्षमता

- वर्तमान में, भारत में 15 पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, जिन्हें 'एसएसके' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा एक परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, जिसे 'एसएसबीएन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- एसएसके श्रेणी में,

I. 4 शिशुमार क्लास के हैं, जिन्हें 1980 के दशक में जर्मनी से खरीदा गया था.

II. 8 किलो क्लास या सिंधुघोष क्लास के हैं जिन्हें 1984 और 2000 के बीच रूस (पूर्ववर्ती यूएसएसआर सहित) से खरीदा गया था.

III. 3 भारत के मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) में फ्रांस के नेवल ग्रुप, जिसे पहले डीसीएनएस कहा जाता था, के साथ साझेदारी में निर्मित कलवरी क्लास स्कॉर्पीन पनडुब्बियां हैं.

- एसएसबीएन, आईएनएस अरिहंत, एक परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे स्वदेश में बनाया गया है.

3. भारत के पनडुब्बी अधिग्रहण का इतिहास

- भारत को अपनी पहली पनडुब्बी, फॉक्सट्रॉट क्लास की आईएनएस कलवरी, दिसंबर 1967 में यूएसएसआर से मिली.
- 1981 में, भारत ने पश्चिम जर्मनी से 2 टाइप 209 (शिशुमार क्लास) पनडुब्बियों को खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जबकि दो अन्य को मझगांव डॉक में असेंबल किया गया.
- रूस ने 1986 में भारत को अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों की पेशकश की जिसने भारत के लिए किलो क्लास पनडुब्बियों का गठन किया.

4. आधुनिकीकरण में देरी

- पालिसी-पैरालिसिस के कारण, 1999 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए 30-वर्षीय योजना (2000-30) पर 2005 में हस्ताक्षर किए गए थे
- इसने एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के साथ साझेदारी में भारत में निर्मित प्रत्येक छह पनडुब्बियों की दो उत्पादन लाइनों की परिकल्पना की. परियोजनाओं को P-75 और P-75I कहा जाता था
- P-75 में देरी हो गई है और P-75I पर हस्ताक्षर होना बाकी है

भारत की पनडुब्बियां

5. पनडुब्बियों के निर्माण के लिए वर्तमान परियोजनाएं

- बनाए जा रहे छह में से, P-75 ने अब तक तीन कलवरी क्लास स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की डिलीवरी की है.
- P-75I स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत का पहला होगा, जो 2015 में आया था.
- सरकार एक भारतीय रणनीतिक भागीदार (एसपी) को अनुबंध देगी, जो तब एक विदेशी ओईएम के साथ साझेदारी करेगी.
- दो चयनित एसपी एमडीएल और लार्सन एंड टुब्रो हैं.
- 5 चयनित ओईएम फ्रांस के नेवल ग्रुप, जर्मनी के थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स, रूस के आरओई, दक्षिण कोरिया के देवू शिपबिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग और स्पेन के नवांटिया हैं.

6. चीन की क्षमता और भारत की चिंता

- भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए और पनडुब्बियों की जरूरत है।
- चीनी आने वाले वर्षों में हिंद महासागर में बहुत अधिक जहाजों और पनडुब्बियों को तैनात करने जा रहे हैं।
- चीन पाकिस्तान को 8 पनडुब्बी और 4 विध्वंसक दे रहा है, जिसका इस्तेमाल चीन प्रॉक्सी के तौर पर कर सकता है।
- पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी नौसेना "2020 तक 65 और 70 पनडुब्बियों के बीच बनाए रखने की संभावना रखती है, पुरानी इकाइयों को लगभग एक-से-एक आधार पर अधिक सक्षम इकाइयों के साथ बदल देती है"

7. परमाणु पनडुब्बियों की विशिष्ठता का कारण

- SSN में पानी के अन्दर रहने की अनंत क्षमता होती है
- वे एक परमाणु-संचालित इंजन होते हैं, इन पनडुब्बियों को केवल चालक दल के लिए आपूर्ति को फिर से लेने के लिए सतह पर आने की आवश्यकता होती है
- एसएसएन पारंपरिक पनडुब्बियों की तुलना में पानी के अन्दर तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हैं
- उपरोक्त बिंदु नौसेना को पनडुब्बियो को सुदूर क्षेत्र में तैनात करने की क्षमता देता है

8. भारत की परमाणु पनडुब्बियां

- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के साथ-साथ भारत उन छह देशों में शामिल है जिनके पास एसएसएन हैं.
- भारत ने अपने स्वयं के एसएसबीएन, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघ. ाट विकसित किए हैं. अन्य पनडुब्बियों के विपरीत, एसएसबीएन रणनीतिक कार्यक्रम हैं और सामरिक बल कमान के अंतर्गत आते हैं, जो भारत के परमाणु हथियारों के लिए जिम्मेदार त्रि-सेवा कमान है.
- सरकार ने यह भी फैसला किया है कि पी75 और पी75 आई परियोजनाओं के बाद स्वदेश में बनने वाली 12 पनडुब्बियों में से छह एसएसएन होंगी.
- भारत रूस से दो एसएसएन लीज पर ले रहा है, लेकिन उनमें से पहले की डिलीवरी केवल 2025 तक होने की उम्मीद है.

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q1. श्री रमना काली मंदिर के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें.

1. यह मंदिर बंगलादेश के चटगाँव शहर में स्थित है.
2. इस मंदिर का निर्माण सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में करवाया गया था.
3. भारत सरकार के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया है.

निम्न में कौन सा/से कथन सत्य हैं.

(a) कथन 1 और 2 सत्य हैं.
(b) कथन 2 और 3 सत्य हैं.
(c) केवल कथन 3 सत्य है.
(d) केवल कथन 2 सत्य है.

उत्तर (c)

Q2. लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी पॉवर इंडेक्स में भारत को (एशिया में) किस स्थान पर रखा गया है?

(a) तीसरे स्थान पर
(b) चौथे स्थान पर
(c) पांचवें स्थान पर
(d) छठे स्थान पर

उत्तर (b)

Q3. हाल में ही चर्चा में रहा "ऑपरेशन सर्चलाइट" किससे सम्बंधित था?

(a) 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा संचालित एक ऑपरेशन जिस उद्देश्य बांग्लादेश (तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान) में बढ़ रहे राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता की लहर को रोकना था.
(b) हाल में ही भारत द्वारा "सेमीकंडक्टर चिप्स" निर्माण में आत्मनिर्भर बनने कि दिशा में चल्या गया एक ऑपरेशन.
(c) अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए नासा द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन.
(d) बी.एस.फ द्वारा तस्करी और अन्य गतिविधियों से निपटने के लिए चल्या गया एक ऑपरेशन.

उत्तर (a)

Q4. विश्व कि सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कंहा स्थापित की जाएगी?

(a) न्यूयॉर्क, अमेरिका में
(b) ब्रिसब्रेन, ऑस्ट्रेलिया में
(c) विशाखापत्तनम, भारत में
(d) डरबन, दक्षिण अफ्रीका में

उत्तर (c)

Q5. नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) के सन्दर्भ में कौन सा कथन असत्य है.

(a) एनसीएपी के नेशनल एपेक्स कमिटी ने दावा किया है कि एनसीएपी के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिये फंड का उपयोग करने में सभी राज्य सफल रहे हैं.
(b) एनसीएपी के तहत 2018-19 से 2020-21 के लिए 114 शहरों को 375.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.
(c) 2021-22 के लिए 82 शहरों के लिए 290 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
(d) केंद्र सरकार ने एनसीएपी तहत 2021 से 2026 की अवधि के लिए और 700 करोड़ रुपये रुपये देने की बात की है.

उत्तर (a)

Q6. हाल में किसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है?

(a) वैदिक जप की परंपरा
(b) दुर्गा पूजा, कोलकाता
(c) कुंभ मेला
(d) नवरोज

उत्तर (b)

Q7. हाल ही में आई वैश्विक असमानता रिपोर्ट से सम्बंधित निम्न लिखित कथनों पर विचार करें.

1. यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा प्रकाशित की जाती है.
2. भारत में मात्र 10% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा प्राप्त करते हैं.
3. विश्व के सबसे गरीब 50% जनसंख्या मात्र 8% वैश्विक आय को प्राप्त करती है.
4. यूरोप में शीर्ष के 10% अमीर राष्ट्रीय आय का 36% भाग प्राप्त करते हैं.

उपरोक्त में कौन कौन से कथन सत्य हैं.

(a) कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं.
(b) कथन 2, 3 और 4 सत्य हैं.
(c) कथन 1, 2 और 4 सत्य हैं.
(d) उपरोक्त सभी कथन सही हैं.

उत्तर (b)

शेष भाग पेज 42 पर-

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न

1. कथन (A): उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत जैसे विकासशील देशों से तेजी से लुप्त हो रहे हैं।
कारण (R): इन वनों के साथ कोई मूल्य जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि ये जैव विविधता में गरीब हैं।
निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:
(a) **A** और **R** दोनों सही हैं तथा **R, A** की सही व्याख्या करता है।
(b) **A** व **R** दोनों सही है, किंतु **R, A** की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) **A** सही है, किंतु **R** गलत है।
(d) **A** गलत है, किन्तु **R** सही है।

2. कथन (A): किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के नेटवर्क का एक साथ मौजूद होना भोजन तंतु (फूड वेब) कहलाता है।
कारण (R): चील (Kite) जैसे जीव भोजन तंतु के भाग नहीं हो सकते।
निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:
(a) **A** और **R** दोनों सही हैं तथा **R, A** की सही व्याख्या करता है।
(b) **A** व **R** दोनों सही है, किंतु **R, A** की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) **A** सही है, किंतु **R** गलत है।
(d) **A** गलत है, किन्तु **R** सही है।

3. कथन (A): एक खाद्य श्रृंखला में उत्तरोत्तर उच्च स्तर के सदस्य संख्या में कम होते हैं।
कारण (R): किसी भी पौष्टिकता स्तर पर जीवों की संख्या जीवों की उपलब्धता पर निर्भर करती है जो निचले स्तर पर खाद्य के रूप में कार्य करते हैं।
निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:
(a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है।
(b) **A** व R दोनों सही है, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) A सही है, किंतु R गलत है।
(d) A गलत है, किन्तु R सही है।

4. भारत में सतत् विकास के लिए रूपरेखा के संदर्भ में निम्नलि. खित कथनों पर विचार करें:
1. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (NEP) . 2006 में कहा गया है कि केवल वही विकास सतत या टिकाउ है जो पारिस्थितिक सीमाओं और सामाजिक न्याय की अनिवार्यताओं का सम्मान करता है।
2. संधारणीयता (Sustainability) के आठ मिशनों की मदद से ''जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)" विकास और जलवायु परिवर्तन को सीधे जोड़ता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है/हैं?
(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 और न ही 2

5. मैन्ग्रोव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. मैन्ग्रोव संसार के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
2. मैन्ग्रोव वन पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक और जैव विविध आर्द्रभूमियों में से एक है।
3. वे खारे पानी सहिष्णुता के लिए बहुत कम क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
4. गुजरात के बाद देश में पश्चिम बंगाल और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास अधिकतम मैन्ग्रोव का आवरण है।
निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन करें :
(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 1, 2 और 4 **(d)** 1, 2, 3 और 4

6. कथन (A): पश्चिमी घाट क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से एक माना जाता है।
कारण (R): यह स्थानिकता के सबसे समृद्ध केन्द्रों में से एक है।
निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:
(a) **A** और **R** दोनों सही हैं तथा **R, A** की सही व्याख्या करता है।
(b) **A** व **R** दोनों सही है, किंतु **R, A** की सही व्याख्या नहीं करता।
(c) **A** सही है, किंतु **R** गलत है।
(d) **A** गलत है, किन्तु **R** सही है।

7. कथन (A): ओजोन ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणु पर पराबैंगनी विकिरण की गतिविधि द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित होता है।
कारण (R): ओजोन क्षरण का कारण वातावरण में क्लो

रो-फ्लोरो कार्बन का मुक्त **(Release)** होना है.

निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें:

(a) **A** और **R** दोनों सही हैं तथा **R, A** की सही व्याख्या करता है.

(b) **A** व **R** दोनों सही है, किंतु **R, A** की सही व्याख्या नहीं करता।

(c) **A** सही है, किंतु **R** गलत है.

(d) **A** गलत है, किन्तु **R** सही है.

8. भारत में दो जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की गयी है - पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इस संबंध में निम्नलि. खित कथनों पर विचार करें :

1. पूर्वी हिमालय अपनी स्वयं की स्थानिक जीव तत्वों (endemic faunal element) के अलावा प्रायद्वीपीय भारत में पाये जाने वाले अधिकांश कशेरूकी प्रजातियों की व्यवहार्य आबादी कआश्रय के रूप में पहचाना जाता है.
2. पश्चिमी घाट आदिम पुष्पीय पौधों के एक समृद्ध केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध है और यह 'प्रजातीकरण का पालना/उद्गम स्थल' के रूप में जाना जाता है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 और न ही 2

9. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा रामसर साइट अपने अवस्थिति से सही सुमेलित नहीं है?

(a) रेणुका आर्द्रभूमि - हिमाचल प्रदेश

(b) रोपड़ आर्द्रभूमि - पंजाब

(c) नाल सरोवर - गुजरात

(d) चन्द्र ताल - उत्तराखण्ड

10. निम्नलिखित में से कौन-सा एक 'नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेंट चेन्ज' का लक्ष्य नहीं है?

(a) सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देना

(b) आपूर्ति पक्ष प्रबंधन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना

(c) अवक्रमित वन भूमि का वनीकरण

(d) मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों के माध्यम से पानी उपयोग दक्षता में सुधार

11. आपने गर्मी के दिनों में अपनी कार एक खुले पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की. कुछ घंटों बाद आपने नोटिस किया कि उष्मा कार के अंदर भरी हुई (Trapped) है. यह घटना कहलाती है -

(a) सौर प्रभाव

(b) कॉस्मिक किरण टकराव

(c) ओजोन क्षरण

(d) ग्रीनहाउस प्रभाव

12. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) मध्य अमेरिकी निम्न भूमि और उच्च भूमि के वन जैववि. विधता के हॉट स्पॉट के रूप में पहचाने जातहैं.

(b) जैव विविधता हॉट स्पॉट अधिकांशत: संसार के उष्णकटि बंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित है.

(c) दक्षिण-पूर्वी एशियन द्वीपसमूह जैवविविधता में समृद्ध नहीं हैं.

(d) इनमें से कोई नहीं

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. उपरिरोही या अधिपादप **(epiphytes)**, जिसकी अपनी जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पेड़ों में जीवित रहते हैं.
2. सभी उपरिरोही लताएं **(creepers)** नहीं होती.
3. लताएँ **(creepers)** उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सामान्य रूप से पायी जाती हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही हैं/है?

(a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 2 और 3

(c) केवल 3 **(d)** 1, 2 और 3

14. समुद्री जानवर बिना किसी हवा के सम्पर्क के जल में कैसे जीवित रहते हैं?

(a) उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती.

(b) वे जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं.

(c) वे केवल अपने शरीर में ही ऑक्सीजन का अत्पादन करते हैं.

(d) वे जलीय पौधों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं.

15. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) के संदर्भ में निम्नलि. खित कथनों पर विचार कीजिए :

1. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP) विशेष रूप से झीलों की पारिस्थितिकी और जल की गुणवत्ता को बहाल करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट रूप से केन्द्रीकृत प्रायोजित योजना है।
2. इस योजना का उद्देश्य देश के उन शहरी और अर्द्धशहरी झीलों का संरक्षण करना है जो गंदे पानी के निर्वहन (मुक्त) होने के कारण अवक्रमित हैं.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 और न ही 2

16. भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (**NBA**) के

संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)'वन एवं पर्यावरण मंत्रालय' के अंतर्गत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है।
2. इसकी स्थापना 'राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना' को लागू करने के उद्देश्य से की गयी.
3. यह संरक्षण, जैविक स्रोतों के सतत् उपयोग आदि के मुद्दों पर भारत सरकार के लिए सुविधाजनक बनाने, विनियमन और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है.
4. यह विरासत स्थलों के रूप में जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों की पहचान करने में राज्य सरकारों को सलाह देता है.

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन करें :

(a) केवल 1 और 2 **(b)** केवल 1, 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4 **(d)** केवल 3 और 4

17. जैव विविधता को मुख्य रूप से जिससे खतरा है, वे हैं-

1. आवास विखंडन
2. सिकुड़ती आनुवांशिक विविधता
3. आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ
4. विकास परियोजनाओं का प्रभाव
5. संसाधनों का अत्यधिक दोहन

निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए -

(a) केवल 1, 2 व 3 **(b)** केवल 2, 3 व 5
(c) केवल 1, 4 व 5 **(d)** केवल 1, 2, 3, 4 व 5

18. पारिस्थितिकी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली में एक ऊर्जा का प्रवाह तथा पोषक तत्वों का चक्रण होता है जो जैविक और भौतिक घटकों को एक साथ बाँधते हैं.
2. एक पारिस्थितिकी प्रणाली हमेशा स्थिर होती है।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 और न ही 2

19. बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बायोस्फीयर रिजर्व का विचार सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अंतर्गत 'मैन एण्ड बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम' के तहत आया.
2. दुनिया के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र प्रकार और परिदृश्य, बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में प्रतिनिधित्व किये जाते हैं.
3. 'मैन एण्ड बायोस्फीयर (MAB) प्रोग्राम' प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान और प्रशिक्षण का कार्यक्रम है.

निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 3
(c) 2 और 3 **(d)** कोई नहीं

20. 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन' के संदर्भ में निम्नलि. खित कथनों पर विचार करें:-

1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के भाग के रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा 2008 में आरम्भ किया गया.
2. इस मिशन ने 2020 तक सौर ऊर्जा से जुड़े 20,000 मेगावाट के ग्रिड की तैनाती का लक्ष्य रखा है.
3. इस मिशन का उद्देश्य आक्रामक अनुसंधान और विकास के माध्यम से सौर बिजली उत्पादन की लागत को कम करना है।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन असत्य है?

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) केवल 3 **(d)** कोई नहीं

21. निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार 'फॉरेस्ट राइट एक्ट, 2006' के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों को प्रदान किये जाते हैं?

1. वन भूमि को रखने और रहने का अधिकार
2. लघु वन उत्पादों के निपटान और स्वामित्व का अधिकार
3. किसी भी सामुदायिक के वन संसाधनों को पुनर्जीवित करने का अधिकार
4. जैव विविधता तक पहुँच का अधिकार

निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 **(d)** 1, 2, 3 और 4

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें -

1. 'राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, 'वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, के दायरे में अपने अधिदेश को पूरा कर रहा है।
2. प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के बाह्य स्थानिक संरक्षण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 और न ही 2

23. प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए -

1. प्रवाल भित्तियाँ मूंगे द्वारा स्रावित कैल्शियम कार्बाइड से बने पानी के भीतर की संरचना है.
2. प्रवाल भित्तियाँ छोटे जीवों की कालोनियाँ हैं जो समुद्री जल

में पाये जाते हैं और जिसके पास कुछ पोषक तत्व भी होते हैं।
3. प्रवाल भित्तियाँ महाद्वीपीय शेल्फ के समीप गहरे समुद्र में पाये जाते हैं.

उपरोक्त कथनों में से कौन सही है?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) केवल 3 **(d)** 1, 2 और 3

24. कार्टाजेना प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल **(CPB),** जैविक विविधता अभिसमय **(CBD)** के तहत जैव सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर समन्वित शासन के निर्माण का एक प्रयास है।
2. यह प्रोटोकॉल सुरक्षित हस्तांतरण से निपटान को सुनिश्चित करने के लिए और ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से संबंधित जीवित संशोधित जीव **(LMO)** के उपयोग का एक व्यापक नियामक प्रणाली का निर्माण करता है.
3. इसमें मानव के लिए और जीवित संशोधित जीव **(LMO)** से प्राप्त उत्पादों के लिए औषधियों को शामिल किया गया है.
4. यह प्रोटोकॉल जीवित संशोधित जीवों **(Living Modified Organism)** को परिभाषित करने पर शांत है.

निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथनों का चयन कीजिए :

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 **(d)** 1, 2, 3 और 4

25. आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :
1. एक आर्द्रभूमि या तो स्थायी रूप से या मौसम के अनुसार जल से संतृप्त एक भूमि क्षेत्र है और इस प्रकार यह एक अलग विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं की ओर ले जाता है.
2. आर्द्रभूमियाँ मुख्यत: जलीय मृदा से बनी होती है जो जलीय पौधों का समर्थन करती है.
3. विश्व में सबसे बड़े आर्द्रभूमियों में अमेजन नदी बेसिन और पश्चिमी साइबेरियन मैदान शामिल हैं.
4. रामसर अभिसमय के तहत अष्टमुदी वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि के रूप में नामांकित किया गया.

निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन करें :

(a) केवल 1 **(b)** 1 और 2
(c) 1, 2 और 3 **(d)** 1, 2, 3 और 4

26. 'बायोम' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. बायोम आनुवांशिक, वर्गीकरण या ऐतिहासिक समानताओं के आधार पर परिभाषित किया जाता है।
2. बायोम पृथ्वी पर समान जलवायु परिस्थितियों वाले स्थान से सटे क्षेत्र हैं।

ऊपर दिये गए कथनों में से कौन सही है?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 न ही 2

27. माइक्रोबियल फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
(a) एक माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो सूक्ष्मजीवों के उत्प्रेरक प्रतिक्रिया से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरित करता है.
(b) माइक्रोबियल फ्यूल सेल का अपशिष्ट जल के उपचार में वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है.
(c) एक सामान्य ईंधन सेल की तरह माइक्रोबियल सेल के पास भी एनोड और कैथोड दोनों चैम्बर होते हैं.
(d) अधिकांश माइक्रोबियल सेल विद्युतरासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं.

28. 'पारिस्थितिक उत्तराधिकार **(Ecological Succession)** के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:-
1. पारिस्थितिक उत्तराधिकार समय के साथ एक पारिस्थितिकी समुदाय की प्रजातीय संरचना में परिवर्तन की प्रेक्षित (observed) प्रक्रिया है.
2. प्राथमिक उत्तराधिकार की प्रक्रिया उस स्थान पर होती है जहाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र पहले से ही अस्तित्व में रहा हो परन्तु अशांत या बाधायुक्त हो गया है.

उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है/हैं?

(a) केवल 1 **(b)** केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों **(d)** न तो 1 और न ही 2

29. प्राथमिक पारिस्थितिक उत्तराधिकार वहाँ होता है -
1. चराई क्षेत्र
2. ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा बने गये द्वीप पर
3. रेत के टीलों पर
4. जहाँ हिमनद पीछे हट गये हों
5. जला हुआ क्षेत्र
6. छोड़ दिया गया मजबूत क्षेत्र

नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें -

(a) केवल 1 और 5
(b) केवल 2, 3, 4 और 6
(c) केवल 1, 4, 5 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

30. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये तथा सूचियाके नीचे

दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिये –

	सूची-I	सूची-II
A.	ब्राउन कार्बन	1. ईंधन के अधूरे दहन के माध्यम से निर्मित
B.	ग्रीन कार्बन	2. स्थलीय पारितंत्रों में संग्रहीत कार्बन
C.	ब्लू कार्बन	3. दुनिया के महासागरों में सीमित कार्बन
D.	ब्लैक कार्बन	4. जलवायु को प्रभावित करने वाले ग्रीन हाउस गैसों के औद्योगिक उत्सर्जन

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	1	3	2	4
(c)	4	2	3	1
(d)	4	3	2	1

उत्तर

1.	(c)	18.	(a)
2.	(c)	19.	(c)
3.	(a)	20.	(b)
4.	(c)	21.	(d)
5.	(b)	22.	(a)
6.	(a)	23.	(b)
7.	(b)	24.	(b)
8.	(d)	25.	(c)
9.	(d)	26.	(b)
10.	(b)	27.	(d)
11.	(d)	28.	(a)
12.	(c)	29.	(b)
13.	(d)	30.	(c)
14.	(b)		
15.	(c)		
16.	(c)		
17.	(d)		

पेज 37 का शेष भाग-

Q8. हाल ही में नासा के किस अन्तरिक्ष यान ने सूर्य कि बहरी वातावरण को छुआ है?

(a) पर्सिवरेंस, अन्तरिक्ष यान

(b) एनईए स्काउट, अन्तरिक्ष यान

(c) पार्कर प्रोब, अन्तरिक्ष यान

(d) वेरिटास, अन्तरिक्ष यान

उत्तर (c)

Q9. हाल में ही चर्चा में रहे स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक मिसाइल के विषय में क्या असत्य है?

(a) इस मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया है.

(b) मिसाइल अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव (एमएमडब्ल्यू) सीकर तकनीक से लैस है.

(c) मिसाइल कि मारक क्षमता 10 किलोमीटर है.

(d) मिसाइल के विकास के डीआरडीओ ने फ्रांस से तकनीकी मदद ली है.

उत्तर (d)

Q10. हाल में ही उत्तर प्रदेश के किस स्थान को रामसर साइट घोषित किया गया है?

(a) सरसई नवर झील, इटावा

(b) समसपुर पक्षी अभ्यारण, रायबरेली

(c) हैदरपुर वेटलैंड, बिजनौर

(d) नवाबगंज पक्षी अभ्यारण, उन्नाव

उत्तर (c)

Paper IV केस स्टडी

मध्य प्रदेश में प्याज की अच्छी फसल होने से इसका बाजार मूल्य घटकर 500 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है. सरकार ने किसानों के हित में प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति क्विंटल घोषित करते हुए, सभी प्याज खरीद केन्द्रों को किसानों से प्याज खरीदने के आदेश जारी कर दिए है.

बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य में, भारी अंतर होने के कारण बहुत से दलालों ने, खरीद केन्द्रों के कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर ली. ये दलाल, व्यापारियों के गोदामों में स्थित पिछले वर्ष के प्याज को, खरीद केन्द्रों पर विक्रय करने में उनकी सहायता कर रहे हैं.

इंदौर के किसानों को अपना प्याज विक्रय करने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वे किराये की ट्रालियों में प्याज रखकर, कई दिनों तक लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे इनकी लागत बढ़ जाती है. जुलाई का महीना होने से, जलवायु ऊष्ण और आद्र है. बारिश में भीगने और फिर धूप लगने से प्याज अक्सर सड़ जाते है.

हताश होकर किसानों ने राष्ट्रीय महामार्ग पर अपने ट्रैक्टर-ट्राली खड़ा करके इसे अवरूद्ध कर दिया. इससे वाहनों का आवागमन और वस्तुओं का परिवहन, दोनों रूक गया है. इंदौर के नागरिकों को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है.

इस प्रकरण की जानकारी मिलते ही सरकार ने इंदौर के जिलाधिकारी का तबादला कर दिया और आपको वहां का जिलाधि कारी नियुक्त करते हुए समस्या के शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिये.

(a) इस प्रकरण से सम्बन्धित विभिन्न नैतिक मुद्दों की विवेचना कीजिए.

(b) अब आप क्या कार्यवाही करेंगे.

दिये गए मामले में मुझे तत्काल इंदौर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के प्याज की खरीद सुनिश्चित करके सामान्य स्थिति बहाल करना है. इस प्रकरण में ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, निष्पक्षता, करुणा और न्याय जैसे मूल्य निहित हैं.

नैतिक मुद्दे

दिए गए मामले में किसानों की दुर्दशा दिखाई गई है. सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है लेकिन दलाल, खरीद केन्द्र के कर्मचारी और व्यापारी सांठगांठ करके किसानों को ठग रहे हैं.

स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने किसानों के हित में कई कदम उठ. ाये. हरित क्रान्ति, तकनीक के प्रयोग एवं किसानों के कठिन परिश्रम से प्रति हेक्टेयर अनाज के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है. लेकिन किसान अभी भी गरीब हैं. फसलों की अच्छी पैदावार एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनकी सहायता नहीं कर पाता है.

दूसरी तरफ रासायनिक उर्वरकों, खर-पतवार नाशक, कीटनाशक एवं मशीनों के प्रयोग से कृषि की लागत बढ़ गई है.

खुश और संतुष्ट किसान अर्थव्यवस्था का आधार हैं, लेकिन इन्हें अपनी फसल की कीमत के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसे विरोध प्रदर्शन, व्यापार एवं आम नागरिकों के जीवन को भी बाधित करते हैं. यदि इनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया गया तो आन्दोलन हिंसक हो सकता है.

किसी भी वर्ग की गरीबी, समाज के हर वर्ग की सम्प. न्नता के लिए खतरा है. न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है. हमें एक निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रणाली विकसित करके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा.

कार्यवाही

मैं आवश्यक सुरक्षा बल के साथ तुरन्त खरीद केन्द्र पर छापा डालकर वहाँ उपस्थित सभी दलालों एवं व्यापारियों को गिरफ्तार कर लूँगा. हम उनके प्याज और वाहनों को जब्त कर लेंगे. मैं संबंधित दस्तावेज अपने कब्जे में ले लूँगा और जाँच पूरी होने तक के लिए इस ऋतु में खरीदे गए प्याज के भुगतान पर रोक लगा दूँगा. मैं प्याज खरीद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करूँगा. जिसके अनुसार केवल किसानों से ही उनकी पहचान करने के उपरान्त प्याज खरीदा जाएगा. पिछले वर्ष के प्याज की खरीद प्रतिबंधित कर दूँगा और शीघ्र ही किसानों के प्याज की खरीद आरम्भ करा दूँगा. मैं खरीद केन्द्र के प्रबंधन को टोकन व्यवस्था आरम्भ करने एवं नए काउंटर खोलने के लिए सहमत कर लूँगा. इससे किसानों के धन एवं समय की बचत होगी.

नए दिशा-निर्देश में केवल बैंक के जरिए कीमत का भुगतान होगा किसानों और उनके वाहनों का ब्यौरा रखना अनिवार्य होगा.

तत्पश्चात मैं उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करूँगा और इसे किसानों के आरोपों एवं खरीद केन्द्रों के कर्मचारियों की भूमिका की जांच करके पांच दिनों में रिपोर्ट देने के लिए कहूँगा.

तत्पश्चात् मैं किसानों से मिलूँगा और खरीद केन्द्र पर बारिश से सड़ गई प्याज की फसल के लिए हर्जाने की घोषणा करूँगा. मैं उन्हें अपने कार्यालय का फोन नम्बर देकर भविष्य में भी प्रशासन के सहयोग के प्रति आश्वस्त करूँगा. इससे प्रशासन में उनका विश्वास बहाल हो जाएगा. अत: मैं उन्हें आसानी से धरना समाप्त करने और खरीद केन्द्र जाकर प्याज विक्रय करने के लिए सहमत कर लूँगा. उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलते ही मैं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करूँगा. इससे किसानों को न्याय मिल जायेगा और भविष्य के लिए एक सबक हो जाएगा.

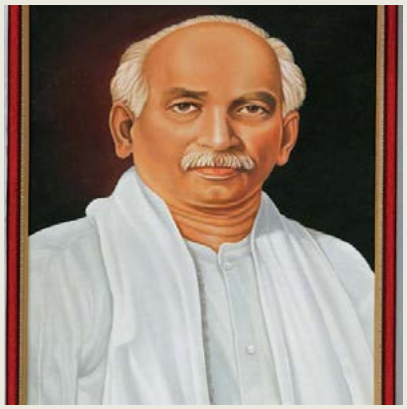

व्यक्ति विशेषः पट्टाभि सीतारमैय्या

पट्टाभि सीतारमैय्या एक प्रख्यात चिंतक, विचारक, लेखक, स्वाधीनता सेनानी, संविधान निर्माताओं में एक और एक प्रबुद्ध प्रशासक थे जो देश की आजादी के पहले कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रूप में जाने गए. पट्टाभि सीतारमैय्या संविधान सभा के द्वारा गठित 17 समितियों में से एक हाउस कमिटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने देश की आजादी के समय के एक महत्वपूर्ण समिति के सदस्य के रूप में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को न मानने की सिफारिश की थी.

उनका पूरा नाम भोगराजू पट्टाभि सीतारमैय्या था. उनका जन्म 24 नवंबर, 1888 को हुआ था. चिकित्सकीय शिक्षा समाप्त कर उन्होंने सन् 1906 में चिकित्सकीय कार्य आरम्भ कर दिया था. 1912-13 में उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य बनाने की वकालत की थी. इस दौर में उन्होंने दि हिन्दू और अन्य अखबारों में तेलुगूभाषी लोगों के लिए एक अलग आन्ध्र प्रदेश के गठन की आवश्यकता पर जोर देना शुरू कर दिया था. उस दौर में सीतारमैया ने भाषायी आधार पर राज्यों के गठन की वकालत करते हुए कई लेख लिखे.

1916 में काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पट्टाभि सीतारमैया ने मद्रास राज्य के आन्ध्र सर्किल के लिए एक अलग क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बनाने की मांग की थी. इसका खुद महात्मा गांधी और कई अन्य डेलीगेट्स ने तब विरोध किया था. लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने सीतारमैया का समर्थन किया था. हालांकि अगले कुछ महीनों में विरोध की आवाज कम पड़ी, और 1918 में आन्ध्र सर्कल के लिए एक क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी बना दी गई. खुद सीतारमैया 1937-40 के दौर में इसके अध्यक्ष रहे.

28 नवंबर 1923 को पट्टाभि सीतारमैया ने आन्ध्र बैंक की शुरूआत की थी, ताकि आम लोगों तक बैंकिग सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और आज यह बैंक अपने कारोबार का विस्तार करते-करते देश के कोने-कोने तक पहुंच गया है.

1916 से 1952 के बीच वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे. वर्ष 1919 से उन्होंने इंग्लिश वीकली जन्मभूमि को प्रकाशित करना शुरू किया. वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य भी थे. 1936 में वो ऑल इंडिया नेटिव स्टेट्स पीपुल्स कॉउंसिल (अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्) के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे. वे वर्ष 1929-30, 1931, 1934, 1936, 1938, 1939 और 1940-46 तथा 1948 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे. 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पट्टाभि सीतारमैया महात्मा गांधी समर्थित कांग्रेस कैंडीडेट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से बुरी तरह हार गए थे. 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधीजी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभि सीतारमैया को 199 मतों से हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन गांधीजी के कड़े विरोध के कारण 30 अप्रैल 1939 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था. चुनावों से पहले बापू ने कहा था, "सीतारमैया की हार मेरी हार होगी"- इस चुनाव में जवाहर लाल नेहरू ने लड़ने से इनकार कर दिया था और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना नाम वापस ले लिया था.

1948 में भाषाई राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी. इसका नाम रखा गया जेवीपी कमेटी। इस कमेटी में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु, उप-प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस अध्यक्ष पट्टाभि सीतारमैय्या को रखा गया. इस कमेटी ने अपनी सिफारिश में साफ-साफ कहा कि 'भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग अनुचित है और इसे स्वीकार नही किया जाएगा. राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा.

वहीं 1946 से 1949 के बीच के बीच पट्टाभि सीतारमैय्या संवि. धान सभा के भी सदस्य रहे. वह भारत की अंतरिम संसद के भी सदस्य थे. 1948 से 1950 के बीच वह जयपुर के नेशनल कॉन्क्लेव में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को हराया था.

पट्टाभि सीतारमैय्या एक विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें कांग्रेस का आधि कारिक इतिहासकार माना जाता है. उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं जिनमें से प्रमुख हैं :

- हिस्ट्री ऑफ दि इंडियन नेशनल काँग्रेस. यह किताब दो खंडों में हैं और जिसकी प्रस्तावना भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने लिखी है.
- नेशनल एजुकेशन 1912
- इंडियन नेशनलिज्म -1933
- रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन प्रोविंसेस ऑन लैंग्वेज बेसिस 1916
- इकोनामिक कॉनक्वेस्ट ऑफ इंडिया
- कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी वर्ल्ड
- गांधी, गाँधीज्म एंड सोशलिज्म

भारत की आजादी के बाद सन् 1952 में वे पुराने मध्यप्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए तथा दिनांक 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक नये मध्यप्रदेश के वे पहले राज्यपाल नियुक्त किये गए.

राजव्यवस्था शब्दावली

मूल अधिकार तथा संवैधानिक उपबंध

भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51(d) के अन्तर्गत निम्न लिखित मौलिक कर्तवय उल्लिखित है.

भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा-

(a) संविधान का पालन करे उसके आदर्शो संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे. संविधान के आदर्श में स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व तथा संस्था में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शामिल है. इसलिए यह हम सभी से अपेक्षित है की हम संविधान का उल्लंघन न करें तथा इसकी गरिमा को बनाए रखे.

(b) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखे और पालन करें.

(c) भारत की सम्प्रभुता, एकता अखण्डता को बनाए रखना तथा सुरक्षित करना- अखण्डता भारत के लिए अत्याधिक महत्व का विषय है इसे प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारो पर प्रतिबंध के रूप में भी उल्लिखित किया गया है.

(d) देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना. यह सेनाओं के साथ साथ नागरिको का भी कर्तव्य है की वह देश की रक्षा करें.

(e) भारत के सभी लोगो में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओ का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो.

(f) हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करे. भारत की सांस्कृतिक विरासत सबसे महान और समृद्ध विरासत है. इसलिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अतीत की विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करे भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. कला, विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में हमारा योगदान विश्व प्रसिद्ध रहा साथ साथ विभिन्न धर्मो हिन्दू, जैन, बौद्ध की जन्म भूमि रहा है.

(g) प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अन्तर्गत झील, वन, नदी या वन्य जीव है की रक्षा करें और उनका संवर्धन करे तथा प्राणि के प्रति दयाभाव रखें इनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है. बढ़ता प्रदूषण, बड़े पैमाने पर वनों का क्षरण पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन खतरे में डाल रहा है बढ़ती प्राकृतिक आपदाएं इसका प्रमाण है. इसीलिए इसे संविधान के नीति निदेशक तत्व **48(a)** में भी सुरक्षित किया गया है क्योंकि यह राष्ट्र की मूल्यवान सम्पत्ति है.

(h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें.

(i) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे यह दुर्भाग्यपूर्ण है की एक देश जो विश्व को अहिंसा का सन्देश देता है समय समय पर स्वयं हिंसात्मक प्रवृत्तियों का शिकार होता है तथा इसकी सार्वजनिक सम्पत्तियां नष्ट की जाती है. हड़ताल, बंदी, रैली इत्यादि इसका प्रमुख उदाहरण है.

(j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कर्ष की बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रत्यत्न और उपलब्धियों की नई ऊचाइयों को छू ले.

(k) जो माता-पिता या संरक्षक हो वह छः से चौदह वर्ष के बीच की आयु के बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे.

NOTES

Achievers of Dhyeya IAS who made us proud.

ध्येय IAS
most trusted since 2003

पिछले 18 वर्षों में हमारे संस्थान से IAS में 1650+ एवं PCS में 2500+ चयन हुए हैं

KANISHAK KATARIA
RANK 1

JUNAID AHMED
RANK 3

SAUMYA PANDEY
RANK 4

LOK BANDHU
RANK 7

SURYAPAL GANGWAR
RANK 8

JAIPRAKSH MAURYA
RANK 9

MAHESH KUMAR
RANK 14

SHIVANI GOYAL
RANK 15

SHWETA SINGHAL
RANK 17

SRIMAN SHUKLA
RANK 18

PRIYANKA NIRANJAN
RANK 20

ADESH TITARMARE
RANK 21

NEHA PRAKASH
RANK 22

ANURAJ JAIN
RANK 24

AJIT
RANK 26

DIBYA JYOTI PARIDA
RANK 26

KARMVEER SHARMA
RANK 28

ANJNAY KUMAR SINGH
RANK 29

PARI BISHNOI
RANK 30

GANGA SINGH
RANK 33

ARUN RAJ
RANK 34

GAURAV KUMAR
RANK 34

KANCHAN
RANK 35

BRAHMADEV TIWARI
RANK 37

SHAILENDRA SINGH
RANK 38

POOJA GUPTA
RANK 42

DIVYANSHU NIGAM
RANK 44

ASHWIN MUDGAL
RANK 45

SAURABH GAHARWAR
RANK 46

DEEPAK KUMAR DUBEY
RANK 46

ABHISHEK SINGH
RANK 48

RENJINA MARY V.
RANK 49

RANGASHREE
RANK 50

ILA TRIPATHI
RANK 51

ASHISH MISHRA
RANK 52

5 times Rank 1 in last 8 years of UPPCS

1st RANK
Vaibhav Mishra

1st RANK
Arvind K. Singh

1st RANK
Himanshu Gupta

1st RANK
Abhinav R. Shriwastava

1st RANK
Anuj Nehra

MPPCS TOPPER

1st RANK
Sampada Saraf

BPSC TOPPER

1st RANK
Sanjeev Kumar Sajjan

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 | **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

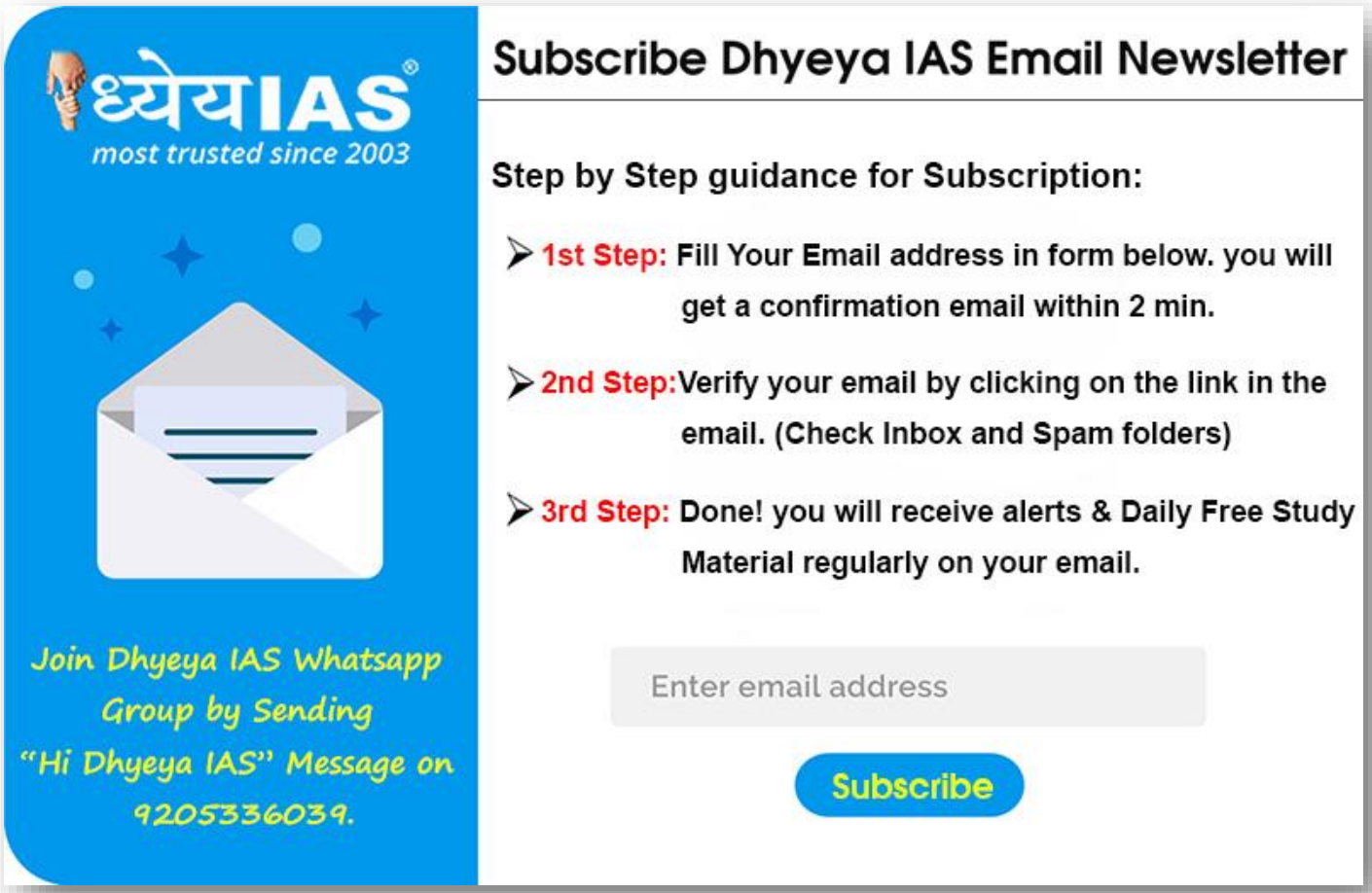

ध्येय IAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744